Saturday, 28 March, 1964

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

MMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd LOK SABHA DEBATES

Gazettes & Debates Un
Parliament Library Buildi
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

Third Series

खण्ड २८, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXVIII, 1964/1886 (Saka)

[२१ मार्च से २ अप्रेल, १९६४/१ चैत्र से १३ चैत्र, १८८६ (शक)]

[March 21 to April 2, 1964/Chaitra 1 to 13, 1886 (Saka)]

Preservation Unit
Fumigated
On 14.12.83
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८५-८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1885-86 (Saka)

(खण्ड २८ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

(Vol. XXVIII contains Nos. 31 to 40)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SHABA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय-सूची

[तृतीय माला, खण्ड २८—सातवां सत्र, १९६४]

अंक २६—शनिवार, २८ मार्च, १९६४/८ चैत्र, १८८६ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
७७४	भारतीय मसाला व्यापार शिष्टमंडल . .	२७८३–८४
७७५	हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल . . .	२७८४–८५
७७६	दक्षिण-पूर्व एशिया को शिष्टमंडल . . .	२७८६–८७
७७९	गैरसरकारी क्षेत्र की कोयलाखानें . . .	२७८७–८८
७८१	कपड़ा मिल	२७८८–९०
७८२	लोहा तथा इस्पात का उत्पादन	२७९०–९१
७८३	राज्य व्यापार निगम	२७९१–९३
७८४	मुदालियर समिति	२७९४—९५
७८५	कपास का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाना . .	२७९५—९८
७८६	सूती कपड़ा सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति . . .	२७९८–९९
७८७	न्यूयार्क विश्व मेला	२७९९—२८०२
७९०	कपड़ा नीति . .	२८०२–०४
७९३	केरल में खनिज निक्षेप	२८०४–०५
७९४	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल .	२८०६–०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
७७७	कृषि उपकरणों का निर्माण . .	२८०७
७७८	स्टैनलैस स्टील उद्योग . .	२८०७–०८
७८०	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, उड़ीसा .	२८०८
७८८	विद्युत् करघा जांच समिति .	२८०८
७८९	स्विटजरलैण्ड को चाय का निर्यात	२८०८०९
७९१	तीन पहियों की गाड़ी उद्योग . .	२८०९
७९२	अफ्रीका को पटसन की वस्तुओं का निर्यात .	२८०९–१०
७९५	जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता . .	२८१०

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

(Third Series, Vol. XXVIII—Seventh Session, 1964)

No. 36—Saturday, March 28, 1964/Chaitra 8, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

*Starred Questions Nos.	Subject	PAGE
774	Indian Spice Trade Delegation .	2783-84
775	Heavy Electricals Ltd., Bhopal .	2784-85
776	Delegation to South East Asia .	2786-87
779	Private Sector Coal Mines . .	2787-88
781	Textile Mills . . .	2788-90
782	Production of Iron and Steel. .	2790-91
783	State Trading Corporation . .	2791-93
784	Mudaliar Committee . .	2794-95
785	Movement of Cotton . . .	2795-98
786	Expert Committee on Cotton Fabrics	2798-99
787	New York World Fair . . .	2799--2802
790	Cloth Policy . . .	2802-04
793	Mineral Deposits in Kerala .	2804-05
794	Strike by the Workers of H.E.L.	2806-07

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
777	Manufacture of Agricultural Implements . .	2807
778	Stainless Steel Industry	2807-08
780	Khadi and Village Industries Board, Orissa . .	2808
788	Powerloom Enquiry Committee	2808
789	Tea Export to Switzerland . . .	2908-09
791	Three-wheeler Vehicle Industry . .	2809
792	Export of Jute Goods to Africa .	2809-10
795	Jessop & Co. Ltd., Calcutta	2810

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी	विषय	पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या

१५९६	पंजाब में भूतत्वीय सर्वेक्षण .	२८१०–११
१५९७	उड़ीसा में छोटे पैमाने की इकाइयां	२८११
१५९८	उड़ीसा में औद्योगिक इकाइयां . .	२८११–१२
१५९९	दिल्ली में अत्यावश्यक पदार्थों का वितरण .	२८१२
१६००	उर्वरक तथा पेट्रो-रसायन उद्योगों के लिये मशीनें . .	२८१२–१३
१६०१	फलों का निर्यात . .	२८१३
१६०२	जूतों और चप्पलों का निर्यात .	२८१३–१४
१६०३	राजस्थान में नमकीन जल क्षेत्र . .	२८१४
१६०४	जम्मू तथा काश्मीर में स्विच गियर फैक्टरी . .	२८१४
१६०५	इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड	२८१४–१५
१६०६	गोमिया विस्फोटक पदार्थ फैक्टरी में हड़ताल .	२८१५
१६०७	ट्रैक्टरों का आयात . . .	२८१५
१६०८	पश्चिम बंगाल में खनिज . .	२८१६
१६०९	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल . . .	२८१६
१६१०	बढ़िया किस्म के कोयले के निक्षेप . . .	२८१६–१७
१६११	झरिया में भूनिधि परियोजना	२८१७
१६१२	राजस्थान में सिलीनाइट निक्षेप . . .	२८१८
१६१३	उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड . . .	२८१८–१९
१६१४	काफी के बीजों की कीमत	२८१९
१६१५	जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता . . .	२८१९
१६१६	गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात का उपत्पादन	२८२०
१६१७	केलों का निर्यात . .	२८२०
१६१८	हथकरघा कपड़े का निर्यात	२८२०–२१
१६१९	राजस्थान में कपड़ा मिलें	२८२१
१६२०	राजस्थान में अम्बर चरखे	२८२१
१६२१	नमक कारखानों को ऋण .	२८२१–२२
१६२२	खादी आयोग के प्रकाशन . . .	२८२२
१६२३	बीड़ियों का निर्यात	२८२२–२३
१६२४	सहकारी समितियां	२८२३
१६२५	प्राकृतिक रबड़ का मूल्य	२८२३
१६२६	दिल्ली में निर्यात उत्पाद मण्डप	२८२४
१६२७	लौह-अयस्क का निर्यात	२८२४
१६२८	पंजाब की कोयले की मांग .	२८२४-२५
१६२९	नया इस्पात ढलाई कारखाना .	२८२५
१६३०	स्केण्डीनेवियाई देशों को निर्यात	२८२५–२६
१६३१	मनीपुर का भूतत्वीय सर्वेक्षण .	२८२६
१६३२	खादी की बिक्री पर छूट	२८२६

Unstarred Questions Nos.	Subject	PAGE
1596	Geological Survey in Punjab . . .	2810-11
1597	Small-Scale Units in Orissa . . .	2811
1598	Industrial Units in Orissa	2811-12
1599	Distribution of Essential Commodities in Delhi .	2812
1600	Machinery for Frtilizer and Petro-chemical Industries	2812-13
1601	Export of Fruits	2813
1602	Export of Shoes and Chappals	2813-14
1603	Saline Water Area in Rajasthan	2814
1604	Switch Gear Factory in J. & K.	2814
1605	Indian Oxygen Ltd.	2814-15
1606	Strike in Gomia Explosive Factory.	2815
1607	Import of Tractors .	2815
1608	Minerals in West Bengal .	2816
1609	Heavy Electricals Ltd., Bhopal	2816
1610	Reserves of Superior Quality of Coal	2816-17
1611	Moonidhi Project in Jharia .	2817
1612	Selenite Deposits in Rajasthan . .	2818
1613	U.P. Khadi and Village Industries Board	2818-19
1614	Price of Coffee Seeds .	2819
1615	Jessop & Co. Ltd., Calcutta .	2819-20
1616	Steel Production in Private Sector .	2820
1617	Export of Bananas. .	2820
1618	Export of Handloom Cloth	2820-21
1619	Textile Mills in Rajasthan .	2821
1620	Ambar Charkhas in Rajasthan	2821
1621	Loans to Salt Works . .	2821-22
1622	Khadi Commissions Publications	2822
1623	Export of Beedis . .	2822-23
1624	Cooperative Societies .	2823
1625	Natural Rubber Price . .	2823
1626	Export Products Pavilion, Delhi	2824
1627	Iron Ore Export . . .	2824
1628	Demand for Coal for Punjab	2824-25
1629	New Steel Foundry . . .	2825
1630	Export to Scandinavian Countries	2825-26
1631	Geological Survey to Manipur	2826
1632	Rebate on Sale of Khadi	2826

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या

१६३३	नमक का उत्पादन और निर्यात	२८२७
१६३४	मध्य प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां	२८२७
१६३५	हिन्दी टाइपराइटरों का निर्माण	२८२८
१६३६	पावरलूम कारखाने	२८२८
१६३७	लीपज़िग मेला	२८२८–२९
१६३८	खादी आयोग में छंटनी	२८२९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २८३०, २८३०–३१

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में . . . २८३०

सभा का कार्य . . . २८३१–३२

अनुदानों की मांगें . . . २८३२

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय— . . . २८३२

श्री लीलाधर कटकी	२८३२–३३
श्री अ० म० थामस	२८३३—३७
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	२८३७–३८
डा० पं० शा० देशमुख	२८३८–३९
श्रीमती यशोदा रेड्डी	२८३९–४०
श्री बृजराज सिंह .	२८४०–४१
श्री व० गो० नायडू	२८४१–४२
श्री ज० रा० मेहता	२८४२–४३
श्री यशपाल सिंह .	२८४३–४४
डा० राम सुभग सिंह	२८४४—४६
श्रीमती सहोदरा बाई राय	२८४६–४७
श्री बालकृष्णन् .	२८४७
श्री विश्वनाथ राय	२८४७–४८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन . . . २८४८

विधेयक पुरःस्थापित—

(१) **संविधान (संशोधन) विधेयक** (अनुच्छेद २१७ का संशोधन)— (श्री अब्दुल गनी गोनी का) . . . २८४८

(२) **मजूरी का भुगतान (संशोधन) विधेयक** (धारा १ और १५ आदि का संशोधन)— (श्री प्र० रं० चक्रवर्ती का) . . . २८४९

Unstarred Questions Nos.	Subject	PAGE
1633	Production and Export of Salt . .	2827
1634	Industrial Estates in Madhya Pradesh .	2827
1635	Manufacture of Hindi Typewriters. .	2828
1636	Powerloom Factories . . .	2828
1637	Leipzig Fair	2828-29
1638	Retrenchment in Khadi Commission	2829

Papers laid on the Table 2830,2830-31

Re Calling Attention Notice 2830

Business of the House 2831-32

Demands for Grants 2832

Ministry of Food and Agriculture . . 2832

Shri Liladhar Kotoki 2832-33

Shri A. M. Thomas 2833-37

Shrimati Ren Chakravartty 2837-38

Dr. P. S. Deshmukh 2838-39

Shrimati Yashoda Reddy 2839-40

Shri Brij Raj Singh 2840-41

Shri V. G. Naidu 2841-42

Shri J. R. Mehta 2842-43

Shri Yashpal Singh . . . . . 284 -44

Dr. Ram Subhag Singh 2844-46

Shrimati Sahodhrabai Rai . . 2846-47

Shri Balakrishnan 2847

Shri Bishwanath Roy 2847-48

Committee on Private Members' Bills and Resolutions--
Thirty-eighth Report.

Bills introduced 2848

1. Constitution (Amendment) Bill (*Amendment of article* 217) by Shri Abdul Ghani Goni 2848

2. Payment of Wages (Amendment) Bill (*Amendment of sections* 1 *and* 15, *etc.*) by Shri P. K Chakraverti. . . . 2849

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद ८४ और १७३ का संशोधन)—

(श्री हरि विष्णु कामत का) . . . २८४९–५४

विचार करने का प्रस्ताव . २८४९

श्री हरि विष्णु कामत २८४९—५१

श्री खाडिलकर . . २८५१–५२

श्री रामसेवक यादव . २८५२

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद . . २८५२

श्री बड़े . . २८५२–५३

श्री कृ० चं० शर्मा . . . २८५३

श्री अ० ना० विद्यालंकार २८५३क

श्री जसवन्त मेहता २८५३क

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा २८५३क

श्री शिकरे २८५३क

श्री त्यागी २८५३क

श्री कपूर सिंह २८५३क–ख

श्री ओंकार लाल बेरवा २८५३ख

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् ५३ख–ग–५४

Subject	PAGE
3. Constitution (Amendment) Bill (*Amendment of article* 84 *and* 173) by Shri Hari Vishnu Kamath . . .	2849-54
Motion to consider . .	2849
Shri Hari Vishnu Kamath	2849-51
Shri Khadilkar .	2851-52
Shri Ram Sewak Yadav .	2852
Shri Brajeshwar Prasad	2852
Shri Bade . .	2852-53
Shri K. C. Sharma .	2853
Shri A. N. Vidyalankar	2853A
Shri Jashvant Mehta .	2853A
Shrimati Lakshmikantamma	2853A
Shri Shinkre . .	2853A
Shri Tyagi .	2853A
Shri Kapur Singh .	2853A-B
Shri Onkar Lal Berwa . . .	2853B
Shri C. R. Pattabhi Raman . . .	2853-BC-54

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

322 (Ai) LS—1

लोक-सभा

LOK SABHA

शनिवार, २८ मार्च, १९६४ / ८ चैत्र, १८८६ (शक)

Saturday, March 28, 1964/Chaitra 8, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय मसाला व्यापार शिष्ट मंडल

\+

*७७४. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मसालों की मांग बढ़ाने तथा भारत से उनके निर्यात को बढ़ाने के तरीकों की खोज करने के लिए दिसम्बर, १९६३ में एक भारतीय मसाला व्यापार शिष्टमंडल लंका गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या शिष्टमंडल ने कोई प्रतिवेदन दिया है ; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) कुछ सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही हैं और कुछ सिफारिशों पर मसाला निर्यात संन्वर्धन परिषद् और संबंधित विभागों के परामर्श से छानबीन हो रही है ।

श्री वारियर : सरकार ने कौन कौन सी सिफारिशें मंजूर की हैं और कार्यान्वित की हैं ?

श्री कानूनगो : जो सिफारिशें मंजूर की गयी हैं वे इस प्रकार हैं। मिर्चों की एम० एस० एन० एस ग्रेड को समाप्त करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। कृषि विपणन परामर्शदाता से कहा गया है कि वे गांठों के तोल को प्रमाणित करने की व्यवस्था करें। श्री लंका के रेडियो पर विज्ञापन और खरीद के समय संबंधी दूसरी शिफारिशें हैं। संगठन के साथ इस विषय पर चर्चा हो रही है।

श्री वारियर : श्री लंका को किन-किन मसालों का निर्यात कम हो गया है और स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री कानूनगो : वह काम नहीं हुआ है। उनमें अधिकांश मिर्च हैं। कीमतें कम नहीं हुई हैं सिर्फ श्रीलंका में व्यापार का ढांचा बदल गया है क्योंकि अधिकतर लेन-देन राज्य संगठन करते हैं। इसलिये हम निर्यात परिषदों के सदस्यों और श्रीलंका के खरीद संगठनों के बीच लंबे समय के ठेके करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री वासुदेवन नायर : अभी हाल में श्रीलंका को काली मिर्च के निर्यात की क्या प्रवृत्ति है ?

श्री कानूनगो : श्रीलंका भी एक देश है जिसने पहले काफी मिर्च खरीदी है। काली मिर्च का मूल्य लगभग ४० लाख रुपया है।

Shri Yashpal Singh : What recommendation has been made by the Ministry in regard to the surplus spice in our country in order to increase their export ?

Shri Kanungo : There are various recommendations for increasing export, particularly of chillies and they are under diccussion.

श्री कपूर सिंह : आज श्रीलंका मुख्यत: किन किन देशों से मसाला आयात करता है ?

श्री कानूनगो : वह चीन से और कई दूसरे पूर्व एशियाई देशों से आयात कर रहा है।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

+

*७७५. { **श्री यशपाल सिंह** :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश फर्म मेसर्स एसोशियेटिड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के सहयोग से हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल ने विद्युत जनक यंत्रो (पावर जेनेरेटर्स) के लिये बड़े 'स्टीम टर्बाइन' तैयार करने के हेतु एक योजना बनाई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) और (ख). सरकार ने अपने वर्तमान सहयोगी, मेसर्स असोशियेटेड इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ग्रेट ब्रिटेन के

साथ ६ लाख किलोवाट प्रतिवर्ष की क्षमता के लिए स्टीम टर्बाइन और टर्बो आल्टरनेटर्स तैयार करने के लिए भोपाल कारखाने का विस्तार मंजूर कर लिया है ।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that nothing has so far been manufactured at Heavy Electricals, Ltd., Bhopal and if so, when we would start manufacturing there and when we would become self-sufficient in this respect ?

Shri P. C. Sethi : It is not correct to say that nothing has been manufactured. Heavy Electricals Ltd., Bhopal is manufacturing transformers, switch gears, capacitors, oil circuit breakers and traction motors etc.

Shri Yashpal Singh : In what quantity turbo alternators are being manu-factured and what is their target ?

Shri P. C. Sethi : After expansion programme turbo-alternators worth Rs. 7·6 crores and turbines worth Rs. 3·6 crores would be manufactured.

श्री वारियर : क्या उत्पादन में काफी कमी थी या उत्पादन लक्ष्य तक नहीं पहुंचा ? यदि हां, तो क्या कारण थे ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सामान्य उत्पादन के संबंध में नहीं है, यह केवल टर्बाइन के उत्पादन के बारे में है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या यह सच है कि ब्रिटिश फर्म ए ई आई का टेन्डर सबसे ज्यादा था और सब से कम टेंडर रद्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : मैं समझता हूं कि वह जानकारी सही नहीं है । फिर भी ठीक ठीक उत्तर देने के लिए मुझे सूचना चाहिये ।

श्रीमती सावित्री निगम : इस बात के बावजूद कि ए ई आई ने सैंकड़ों प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया है, वह प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार क्यों आयोजित नहीं किया गया कि प्रशिक्षार्थी बिना किसी सहयोगियों के खुद ही इन जेनेरेटरों का उत्पादन अरम्भ कर सकते ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : केवल प्रशिक्षण नहीं बल्कि अनुभव भी जरूरी होता है और अनुभव तभी मिल सकता है जब उत्पादन शुरू हो । इसलिए उत्पादन की प्रारंभिक दशाओं में हमें अनुभवी लोगों की जरूरत होती है ; यदि वे हमारे देश में उपलब्ध नहीं होते तो हम विदेशी सहायता लेते हैं ।

श्री रा० गि० दुबे : जो स्टीम टर्बाइन तैयार किये जाने वाले हैं उनमें पनबिजली और तापीय बिजली तैयार करने वाले टर्बाइन भी शामिल होंगे ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : हाइड्रो-टर्बाइन बनाने का कार्यक्रम पहले ही से है और संयंत्र स्थापित किया जा रहा है । नया विस्तार कार्यक्रम स्टीम टर्बाइन के उत्पादन के लिए है ।

श्री रामचन्द्र उलाका : फिलहाल हमें कितने स्टीम टर्बाइन की जरूरत है और हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से वह जरूरत कहां तक पूरी होगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : अनुमान है कि चौथी आयोजना में सालाना २० लाख किलोवाट का कार्यक्रम होगा । उसमें से आधा पनबिजली प्रायोजना में और आधा स्टीम टर्बाइन प्रायोजन में होगा ।

दक्षिण-पूर्वी एशिया को शिष्टमंडल

+

*७७६. { श्री विश्राम प्रसाद :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री २० दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६९१ के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् के उस अध्ययन एवं विक्रय सम्बंधी दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये, जिसने दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों का दौरा करने के बाद अपना प्रतिवेदन दिया था, क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् के अध्ययन तथा बिक्री दल की सिफारिशें सामान्य प्रकार की हैं जो मुख्यत: व्यापारिक हितों के मार्गदर्शन के लिए हैं। इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् ने यह सिफारिशें प्रकाशित की हैं और व्यापारिक हितों को बतायी हैं।

Shri Vishram Prasad : The hon. Minister has just stated that the recommendations made by the Engineering Export Promotion Council are of a general nature. I would, therefore, like to know the reason for sending this party there and the expenditure incurred thereon ?

श्री कानूनगो : जो लोग निर्यात संवर्धन परिषद् में हैं वे अधिकतर उद्योग से हैं। उनका काम उन देशों से व्यापार प्राप्त करना है। निश्चय ही व्यापार सीधे सीधे प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह संबंध स्थापित करने के लिए है। उन्होंने सिफारिश की है कि अन्य उत्पादक लोग ग़ैर सरकारी पक्षों से सम्पर्क कायम करें, उन्हें कैटलाग, स्पेसिफिकेशन्स आदि दें।

खर्च के संबंध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

Shri Vishram Prasad : Will Government tell the House something about their recommendations and its reactions thereto ?

Shri Kanungo : Government have not to do anything. It is to be done by members of the Export Promotion Council.

श्रीमती सावित्री निगम : इस दल से देश को क्या लाभ हुआ है और इस अध्ययन दल की सिफारिशें कार्यान्वित करने से निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री कानूनगो : हम किसी तरीके के परिणाम व्यापार के आंकड़ों से नहीं मालूम कर सकते। तथ्य यह है कि इस क्षेत्र में हमारा व्यापार बढ़ रहा है। जापान, चीन और दूसरे देशों से अधिक उन्नत राष्ट्रों से जोरदार मुकाबले को देखते हुए हमने न केवल निर्यात बना रखा है बल्कि उसे बढ़ाया भी है। पिछले साल दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमारा व्यापार ४·०६ करोड़ रुपये से बढ़ कर ५·०८ करोड़ रुपये हो गया और मैं समझता हूं कि यह काफी अच्छी प्रगति है।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister has stated that Government has to do nothing in this regard, it is only for Export Promotion Council to do. I would like to know how much this delegation has added to our trade when Government have spent foreign exchange on this delegation ?

Shri Kanungo : I have stated the advantages.. It goes on increasing.

श्री हेमराज : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका को निर्यात ५ करोड़ रुपया कम हो गया है। सरकार ने उसे बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री कानूनगो : दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारा कोई व्यापार नहीं है । हमने उस पर रोक लगा दी है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानें

+

*७७९. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खान सम्बंधी गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा दिये गये ऋण का उपयोग करने मे काफी विलम्ब किया है ;

(ख) क्या इससे समस्त उत्पादन तथा खानों के आधुनिकीकरण सम्बंधी कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ा है ; **और**

(ग) यदि हां, तो क्या वे तृतीय योजना के दौरान उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां। विलम्ब हुआ है। कुल १६·६७ करोड़ रुपये के ऋण में से १४·२९ करोड़ रुपये ३१-७-१९६३ तक खर्च करने थे। लेकिन चूंकि उपयोग बहुत कम था इस लिये ३०-९-१९६५ तक समय सीमा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक से प्रार्थना की गयी और यह मंजूर कर दिया गया है।

(ख) जो विलम्ब हुआ है उससे उत्पादन कार्यक्रम पर शायद बहुत बुरा असर न पड़े।लेकिन आधुनिकीकरण निश्चय ही ढीला पड़ गया है और यदि सारी रकम नयी तारीख तक अब खर्च की जाये तो आधुनिकीकरण के लाभ सिर्फ चौथी योजना में मालूम होंगे।

(ग) अनुमान है कि गैर सरकारी क्षेत्र चालू योजना मे उत्पादन लक्ष्य पूरा कर सकेगी। जहां तक कि कोयले की मांग पहले के अनुमान के अनुसार होगी, उत्पादन कार्यक्रम में उतनी ही कमी होगी ।

श्री स० चं० सामन्त : छोटी कोयला खानों को मिलाने से जो गैर सरकारी कम्पनियां बनायी गयी हैं वे इस संबंध में अच्छा काम कर रही हैं या स्वतंत्र छोटी कोयला खानें ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : बहुत कम एकीकरण हुआ है और जहां कहीं हुआ है, वहां स्थिति सुधरी है ।

श्री स० चं० सामन्त: विश्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र के लिए अलग अलग है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जी नहीं, यह केवल गैर सरकारी क्षेत्र के लिए है। वह पूरी तौर से गैर सरकारी क्षेत्र के लिए है ; वह १४·२९ करोड़ रुपया है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने भारतीय खनन संघ के नेतृत्व में गैर सरकारी क्षेत्र की प्रतिक्रिया की ओर ध्यान दिया है जिसमें सरकार पर गलत आयोजन, मुहानों पर स्टाक इकट्ठा करने

ग्रौर सीमेंट उद्योग तथा बिजली घरों को राजसहायता दे कर प्रोत्साहन देने के आरोप लगाये हैं ; और यदि हां, तो क्या सरकार वह नीति बदलेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कई कारणों से मांग उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है जितना कि अनुमान था लेकिन मुहाने पर स्टाक उतना नहीं है जितना कि समझा जाता है। अब तक हम विक्रेता के बाजार में काम करते रहे हैं, यहां तक कि जो भी उत्पादन किया जाता था सब ले लिया जाता रहा। अभी मुहाने का स्टाक एक महीने के उत्पादन जितना भी नहीं है ?

श्री अ० प्र० जैन : ऋण के उपयोग में विलम्ब के लिए सरकार और ग़ैर सरकारी उद्योग कहां तक जिम्मेदार हैं और सरकारी मशीनरी के दोष किस प्रकार दूर करने का सरकार का विचार है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : सबसे पहले सभी खाना मलिकों ने हमें आश्वासन दिया था कि वे अप यहां धन इक्टठा कर सकेंगे लेकिन बाद में यह पता चला कि आवश्यक धन इक्ट्ठा करना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए हमें विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले ऋणों के लिए गारंटी देनी पड़ी। अब सरकार द्वारा दी गयी इस गारंटी के बाद वे धन इक्ट्ठा कर पाये हैं।

Shri Vishram Prasad : Have they sent some foreign technicians for the modernisation of mines, when the loan was taken from World Bank and if so the expenditure incurred on them ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कोयला उद्योग के परिवहन सम्बन्धी पहलू की जांच करने के लिए विश्व बैंक से एक दल आया था और उसने पूरा सर्वेक्षण करके एक बहुत उपयोगी रिपोर्ट पेश की।

कपड़ा मिल

+

*७८१. { **श्री धुलेश्वर मीना** :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री रामचन्द्र उलाका : }

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कुछ कपड़ा मिलें जो कि कुप्रबन्ध के कारण बन्द हो गई थीं पुनः चालू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ग) न मिलों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). १९६३ के आरम्भ से, नीचे उल्लिखित जिन दो मिलों ने बदइन्तजामी और/अथवा वित्तीय कठिनाइयों की वजह से काम बन्द कर दिया था, उन्होंने अब काम शुरू कर दिया है :--

(१) मेसर्स भारतखंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात)

(२) मेसर्स बंगाल नागपुर काटन मिल्स लिमिटेड, राजनन्द गांव (मध्य प्रदेश) ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन दो मिलों को कोइ वित्तीय सहायता नहीं दी है ।

श्री धुलेश्वर मीना : ऐसी बदइन्तजामी के लिए संगठन के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

श्री कानूनगो: कार्रवाई केवल उद्योग विकास अधिनियम के अधीन की जा सकती है और वह यह है कि मिलों को प्रशासन के अधीन लाया गया है ।

श्री धुलेश्वर मीना : बदइन्तजामी या वित्तीय कठिनाइयों की वजह से जो बाकी कपड़ा मिलें १९६३ से पहले बन्द की गयी थीं उन्हें सम्भवत: कब से फिर चालू किया जायगा ?

श्री कानूनगो : ५०० मिलों में ६–७ मिलों में बन्दइन्तजामी है और उनमें से लगभग ३–४ मिलों की हालत कभी ठीक नहीं हो सकती । उनके लाइसेंस रद्द किये जा रहे हैं और उन्हें फिर चालू नहीं किया जा सकता । बाकी मिलें यथासमय चालू की जायेंगी ।

Shri Yashpal Singh : Have Government some figures about the loss due to closure of these mills on account of anti-social elements ? Has the financial aid still been given to these mills and if so, the details thereof ?

श्री कानूनगो : वित्तीय सहायता देने का कोई प्रश्न नहीं है। वह इसलिए नहीं दी जा सकती कि उनकी हालत बहुत खराब है और वे ऋण देने के योग्य नहीं हैं ।

श्री रामचन्द्र उलाका: ये दो मिलें बन्द हो जाने के कारण कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये ?

श्री कानूनगो : लगभग ३०००––४००० ।

श्री कमल नयन बजाज: मंत्री महोदय ने बताया कि चार मिलें फिर चालू नहीं की जा सकतीं और उनके लाइसेंस रद्द कर दिये जायेंगे । उन मिलों के नाम क्या हैं ? क्या बडनेरा मिल भी उनमें एक है ?

श्री कानूनगो : उनमें बडनेरा नहीं है ।

श्री कमल नयन बजाज : क्या मैं उनके नाम जान सकता हूं ?

श्री कानूनगो : बेहतर है कि न जानें ।

Shri Bibhuti Mishra : Sometimes sugar factory is closed, and sometimes a textile mill is closed. Do Government propose to frame a legislature to avoid the recurrence of such incident ?

Shri Kanungo : No such legislature could be envisaged.

श्री विश्वनाथ राय : इस बात को देखते हुए कि बदइन्तजामी की वजह से मिलें बन्द हो गयी हैं क्या राज्य व्यापार निगम उस दिशा में कोई कदम उठाने की सोच रहा है ?

श्री कानूनगो : जी, नहीं । यह राज्य व्यापार निगम का काम नहीं है ।

श्रीमती सावित्री निगम : इस बात को देखते हुए कि हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी है और हम कपड़ा बनाने वाली मशीनें विदेशों से मंगा रहे हैं, सरकार ने उन कारखानों में बेकार पड़ी मशीनें इस्तेमाल करने की ओर क्यों ध्यान नहीं दिया है ?

श्री कानूनगो : कुछ मशीनें बहुत बुरी हालत में हैं। किसी भी हालत में, हम ज्यादा मशीनें नहीं मंगा रहे हैं। हम तैयार कर रहे हैं।

Shri K. N. Tiwari : Those sugar mills which are under mismanagement, have been taken over by Government. What are the reasons that Government have not taken over those textile mills which are mismanaged ?

Shri Kanungo : Government have taken over them. I have replied that there are 3-4 mills whose licenses would be cancelled, if they do not set things right.

श्री वारियर : क्या सरकार ने इन मिलों को सहकारी क्षेत्र में लाने के लिए कोई कदम उठाये हैं ?

श्री कानूनगो : मैं यह सलाह नहीं दूंगा कि कोई सहकारी समिति घाटे वाली इन संस्थाओं को अपने हाथ में ले ले।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि कुछ कपड़ा मिलें पुरानी मशीनों और कच्चे माल की कमी की वजह से बन्द पड़ गयी थीं ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में हमारा सम्बन्ध केवल बदइन्तजामी से है।

श्री बालकृष्णन: क्या यह उचित नहीं है कि जिन मिलों में बदइन्तजामी है उन्हें सरकारी क्षेत्र में लाया जाये ?

श्री कानूनगो : जब अवसर आता है तो वे प्रशासन के अधीन लायी जाती हैं।

लोहा तथा इस्पात का उत्पादन

+

*७८२. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री अंजनप्पा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहा और इस्पात के सम्बन्ध में चौथी योजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए ४ फरवरी, १९६४ को नई दिल्ली में लोहा तथा इस्पात के "स्टियरिंग ग्रुप" की बैठक हुई थी ;

(ख) क्या इस्पात कारखानों के लिए देसी उपकरण निर्माण के सम्बन्ध में विशेष कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस्पात प्रौद्योगिकी सम्बन्धी विशेष पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए तकनीकी संस्थाओं में व्यवस्था की गई है; और

(घ) क्या संयंत्र प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । यथासंभव अधिकाधिक हद तक लोहा तथा इस्पात संयंत्र के लिये देश में उत्पादित उपकरणों की संभावनाओं का सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में उत्पादकों के परामर्श से पता लगाया जा रहा है ।

(ग) और (घ). अन्य बातों के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में इस्पात प्रौद्योगिकी को एक विषय के रूप में शामिल करने और संयंत्र के भीतर प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने की वांछनीयता का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी है । समिति शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन दे देगी । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तकनीकी संस्थाओं को गतिमान करने और संयंत्र के भीतर प्रशिक्षण सुविधा बढ़ाने के लिये उपाय किये जायेंगे ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : चतुर्थ योजना में उत्पादन का लक्ष्य क्या है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : वर्तमान प्राक्कलन चतुर्थ योजना में १७२·५ लाख इस्पात पिंड का है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : चतुर्थ योजना में जनशक्ति का उपयोग करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वर्तमान जनशक्ति का उपयोग किया जायेगा परन्तु हमें और जन-शक्ति की आवश्यकता है जिसके लिये प्रशिक्षण सुविधाओं का और विकास किया जायेगा ।

श्री ब० कु० दास : हर कारखाना प्रशिक्षण के लिये विदेशों में अनेक व्यक्ति भेज रहा है, क्या हम इस देश में ऐसी कोई संस्था नहीं बना सकते ताकि हम अधिकाधिक देशीय संसाधनों पर निर्भर कर सकें ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: हम अब अपने इंजीनियरों को प्रशिक्षण के लिये विदेश नहीं भेज रहे हैं । शुरू शुरू में ऐसा किया गया था । अब यहां पर ही प्रशिक्षण की सुविधाएं हैं परन्तु हम विदेशों को कुछ विशेष व्यक्ति ही भेजते हैं जिन्हें किसी विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है ।

श्री कमल नयन बजाज : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय को इसका कुछ ज्ञान है कि भारत में इस्पात की ढलाई में या इस्पात के पुनर्वेल्लन में इस्पात उद्योग में किसी भारतीय फर्म द्वारा तकनीकी जानकारी दी जा रही है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : भारतीय फर्मों को यह तकनीकी जानकारी देने के लिये हम फर्मों से परामर्श कर रहे हैं ।

राज्य व्यापार निगम

*७८३. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के कार्यकलापों को बढ़ाने के किसी कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रम के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं; और

(ग) कार्यक्रम को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) इस समय राज्य व्यापार निगम के कार्यकलापों के विस्तार का कोई कार्यक्रम विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री श्रीनारायण दास: राज्य व्यापार निगम की स्थापना के बाद से इसके क्षेत्राधिकार में कितनी नयी वस्तुएं रखी गयी हैं ?

श्री कानूनगो : इसने केवल वस्तुओं का निर्यात आरम्भ किया था और मैं समझता हूं अब यह १०० से अधिक वस्तुओं का व्यापार संभाल रहा है।

श्री श्रीनारायण दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस कार्यक्रम के और विस्तार के ख्याल से राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण का कोई पुनर्विलोकन किया गया है ?

श्री कानूनगो : हर वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन संसद् के समक्ष रखा जाता है। और सम्बन्धित मंत्रालय भी लागातार इसका पुनर्विलोकन करता है।

श्रीमती सावित्री निगम : जब कि राज्य व्यापार निगम ने निश्चित लाभ बताया है राष्ट्र के लिये काफी धन अर्जित किया है तो क्या मैं जान सकती हूं कि किसी विस्तार कार्यक्रम का क्यों आयोजन नहीं किया गया है और यह अधिकाधिक वस्तुएं क्यों नहीं संभाल रहा है ?

श्री कानूनगो : पहले तो इसको वही वस्तुएं संभालनी हैं जो इसने अब संभाल रखी हैं और अब यही पर्याप्त है।

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य व्यापार निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उन सर्वसत्तावादी देशों के साथ व्यापार करना है जहां कोई गैर-सरकारी उपक्रमी नहीं हैं और इसलिये आप को केवल उनकी सरकारों और वाणिज्यिक संगठनों से व्यापार करना पड़ता है, ऐसा क्यों है कि सरकार ने इन रूसी देशों में से कुछ को यहां केवल राज्य व्यापार निगम के जरिये व्यापार करने की बजाय हमारे गैर-सरकारी उपक्रमियों और व्यापारियों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार प्राक्कलन समिति की इस सिफारिश पर विचार कर रही कि दो राज्य व्यापार निगम नहीं होने चाहियें और खनिज पदार्थों और अन्य वस्तुओं के व्यापार के लिये केवल एक ही निगम होना चाहिये ?

श्री कानूनगो : पहले तो माननीय सदस्य का अनुमान सही नहीं है क्योंकि जैसा उन्होंने कहा है, राज्य व्यापार निगम का कार्य सीमित नहीं है। राज्य व्यापार निगम का कार्य भारत के निर्यात व्यापार को बढ़ाना है और यह भी इसलिये क्योंकि, चाहे ये पूर्व योरोपीय देश हों या अन्य देश, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से खरीदारों में एकाधिकार बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि इसने इस क्षेत्र में बड़ा सराहनीय काम किया है। जहां तक इस वर्ष स्थापित किये गये दो निगमों का सम्बन्ध है, ऐसा करने की आवश्यकता के बारे में सभा में बता दिया गया है। क्योंकि हमें अयस्क व्यापार की ओर अधिक ध्यान देना है, इसके लिये एक पृथक निगम आवश्यक है।

श्री रंगा : उनके इस सभा में व्याख्या किये जाने के बाद प्राक्कलन समिति ने इस मामले पर विचार किया और सभा की ओर से अपनी सिफारिश की।

श्री कानूनगो : प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार करेगी और इस बारे में प्राक्कलन समिति को निर्देश किया जायेगा।

श्री वासुदेवन नायर : क्या यह सच है कि सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र से राज्य व्यापार निगम के कार्यकलाप को बढ़ाने के विरुद्ध अभ्यावेदन मिले हैं; यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन अभ्यावेदनों के कारण राज्य व्यापार निगम के कार्यकलाप को बढ़ाने में हिचक रही है ?

श्री कानूनगो : जी, नहीं। राज्य व्यापार निगम के कार्य के बारे में गैर-सरकारी क्षेत्र की आपत्ति सर्व-विदित है और वह हमेशा ही होती है। राज्य व्यापार निगम के कार्यकलाप को न बढ़ाने अथवा राज्य व्यापार निगम द्वारा अधिक वस्तुओं का कारोबार न किये जाने का कारण यह है कि वर्तमान वस्तुओं का ही राज्य व्यापार निगम पर इतना भार है कि वह उसी को कठिनाई से पूरा कर पाता है।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य व्यापार निगम के बनाये जाने के समय इसका इरादा केवल भारी खरीद के लिये पूर्व योरोपीय देशों के साथ ही व्यापार करने का ही नहीं था और तब से क्या इसने अन्य क्षेत्रों में भी अपनी गतिविधियां बढ़ा ली हैं ?

श्री कानूनगो : मैं बता चुका हूं कि यह बात सही नहीं है। मैं माननीय सदस्य का ध्यान निगम के ज्ञापन और संथा नियमों की ओर दिलाता हूं जिसमें स्पष्ट लिखा है कि ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य व्यापार निगम के किसी और विस्तार की अनुमति दिये जाने से पूर्व क्या सरकार यह देखेगी कि, जैसा कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में बताया गया है, वे कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें ३३ प्रतिशत तक हानि हो।

श्री कानूनगो : व्यापार में कभी हानि होती है और कभी लाभ। यह निर्णय की बात है कि हानि को रोका जा सकता था या नहीं। यदि इस बारे में कोई प्रतिवेदन है तो इस पर विचार किया जायेगा।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : यह सच हो सकता है कि राज्य व्यापार निगम का इरादा अन्य देशों के साथ हस्तक्षेप करने का न रहा हो परन्तु कम से कम पूर्व योरोपीय देशों से तो अपने व्यापार सम्बन्ध राज्य व्यापार निगम के जरिये स्थापित किये जाने की आशा थी ही। आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू के व्यापार का एक स्पष्ट मामला है जिसमें पूर्व योरोपीय देशों ने गैर-सरकारी पक्षों के साथ व्यापार किया और मंडी को निरुत्साहित किया। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है; यदि हां, तो इस बारे में क्या किया गया है ?

श्री कानूनगो : मैं इस धारणा से सहमत नहीं हूं। राज्य व्यापार निगम की स्थापना से पूर्व भी पूर्व यूरोपीय देशों के साथ तम्बाकू का व्यापार होता था और अब भी हो रहा है। राज्य व्यापार निगम भी तम्बाकू का व्यापार करता है परन्तु यह विशेष श्रेणी, अवसर और शर्तों पर आधारित है। माननीय सदस्य ने जो निरुत्साह की बात कही है, ऐसा कुछ नहीं है।

मुदालियार समिति

+

*७८४. { श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० ए० रामस्वामी मुदालियर समिति ने कुछ समय पूर्व सिफारिश की थी कि रुपया भुगतान देशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं 'घरेलू खपत' के लिए ही होनी चाहिये तथा कहा था कि इसकी उच्चतम स्तर पर "अभिपुष्टि" होनी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि इस सिफारिश की उपेक्षा की जा रही है; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप देश को विदेशी मुद्रा की कोई हानि हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) समिति ने लिखा कि यह समझती थी कि रुपया भुगतान देशों के साथ हुए व्यापार करारों में एक यह खंड है कि भारत से निर्यात की गयी वस्तुओं का वे घरेलू खपत के लिये इस्तेमाल करेंगे और उन्होंने सिफारिश की कि इसकी उच्चतम स्तर पर अभिपुष्टि होनी चाहिए।

(ख) जी, नहीं। परन्तु भारत में और विदेशों में ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि कुछ मामलों में हमारी कुछ पारम्परिक वस्तुओं को, जैसे खली, काजू, पटसन का सामान, काली मिर्च आदि को इन देशों ने पूर्व योरोप में भेजते समय तीसरे देश के पत्तनों को बेचना। इन रिपोर्टों का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया और किया जा रहा है। ऐसी शिकायतों के बारे में सम्बन्धित सरकारों को भी, व्यापार करारों के उपबन्धों का हवाला देते हुए, बता दिया गया है।

(ग) इस बारे में ठीक सामग्री के अभाव में, निर्यात से होने वाली हानि का मूल्यांकन करना कठिन है। यह भी सच है कि इस निर्यात पर भी हम सम्बन्धित देशों से अत्यावश्यक वस्तुओं का आयात कर रहे हैं।

Shri Yashpal Singh : Will the Government name those countries who have re-sold our goods ?

श्री कानूनगो : ऐसी शिकायत मिली है परन्तु यह सिद्ध नहीं हुआ।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that we have not got enough advantages from this Rupee Payment system in relation to foreign exchange ?

श्री कानूनगो : हमें काफी लाभ हुआ है क्योंकि हम पूर्व योरोपीय देशों से पूंजी वस्तुओं का आयात कर सके हैं जोकि अन्यथा ऐसा करना सम्भव नहीं होता।

श्री रंगा : उन देशों के नाम क्या हैं?

श्री कपूर सिंह : क्योंकि मंत्री महोदय उन देशों का नाम नहीं बता सकते हैं, क्या वे सभा को कम से कम यह बता सकते हैं कि क्या ये लगभग सभी देश साम्यवादी गुट के हैं ?

श्री कानूनगो : उत्तर में यह बताया गया है। शिकायत कुछ पूर्व योरोपीय देशों के बारे में है।

श्री वारियर : ये पुनर्विक्रय साम्यवादी गुट के देशों में ही किया जाता है या इसके बाहर भी ?

श्री कानूनगो : व्यापार करार के अनुसार आयात करने वाले देश के भीतर के अतिरिक्त पुनर्विक्रय नहीं होना चाहिये । मैं बतलाता हूं कि इसका पता लगाना कितना कठिन है । क्योंकि कुछ देश समुद्र से बहुत दूर हैं, वे अपना सामान तीसरे देश के पत्तनों से मंगाते हैं और विश्व में सब जहाज मालिकों को मान्य अन्तर्राष्ट्रीय वहन-पत्र में यह व्यवस्था होती है कि माल कहीं भी भेजा जा सकता है । जो शिकायतें हमें मिली हैं और जिनकी हम सम्बन्धित सरकारों के सहयोग से जांच कर रहे हैं वे तीन या चार हैं । हमें आशा है कि हम यह पता लगा सकेंगे कि इन शिकायतों में कोई सार है या नहीं ।

श्री कपूर सिंह : उन देशों के नाम क्या हैं ?

श्री कानूनगो : पूर्व-यूरोपीय देश ।

श्री रंगा : कौन से पूर्व-योरोपीय देश ? उनकी संख्या तो बहुत है ।

श्री कानूनगो : मैं समझता हूं बल्गेरिया और चैकोस्लोवेकिया । मुझे इतना ही पता है ।

श्री रंगा : तीन या चार से अब यह संख्या दो रह गयी है ।

अध्यक्ष महोदय : बाकी के नाम उन्हें पता नहीं हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मुदलियार समिति की सिफारिशों के अनुसार पूर्व योरोपीय देशों से उच्चतम स्तर पर अभिपुष्टि की गयी है या नहीं ?

श्री कानूनगो : यद्यपि मुदलियार समिति ने इसका जिक्र किया है, इसने यह भी बताया है कि इस आरोप को प्रमाणित करने के लिये इसके पास कोई सबूत नहीं है । बाद में हमें शिकायतें मिलीं और हम उनकी जांच कर रहे हैं ।

कपास का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाना

\+
*७८५. { **श्री जसवन्त मेहता** :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा आयुक्त ने कपास के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि इसके परिणामस्वरूप कपास उगाने वालों को कितनी हानि होने की संभावना है; और

(घ) क्या इस रोक को लगाये रखने अथवा हटाने अथवा इसमें कुछ ढिलाई करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (घ) : क्योंकि कपास के मूल्य उच्चत्तम सीमा से भी अधिक बढ़ गये थे अतः कपड़ा आयुक्त ने, गुजरात के कुछ जिलों में, एक विशेष किस्म की कपास के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने पर पाबन्दियां लगाना आवश्यक समझा। इसके द्वारा कपास के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने पर केवल नियंत्रण रखा गया है, कोई रोक नहीं लगाई गई। इससे कपास उगाने वालों को कोई हानि होने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि इन पाबन्दियों से अधिकतम सीमा से कम मूल्यों पर कपास के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने के मार्ग में कोई रुकावट नहीं पड़ेगी। परिस्थितियों के अनुसार ज्यों ही उचित समझा जायेगा त्यों ही इस नियंत्रण में ढिलाई कर दी जायेगी अथवा इसे उठा लिया जायेगा।

श्री जसवन्त मेहता : क्या कपास की इस किस्म के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने पर नियंत्रण लगाने से पहले कपड़ा आयुक्त ने अथवा भारत सरकार ने गुजरात राज्य से तथा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से भी परामर्श लिया था ?

श्री कानूनगो : कपड़ा आयुक्त का यह उत्तरदायित्व है कि वह इस बात को देखे कि सभी किस्मों की कपास के मूल्य उस उच्चत्तम सीमा से अधिक न बढ़ें जो कि पहले अधिसूचित की जा चुकी है और ये उपाय उस स्थिति को बनाये रखने के लिये उठाये गये कदम हैं। और भी बहुत से कदम उठाये जा सकते हैं। इस विशेष मामले में गुजरात सरकार के साथ परामर्श किया गया था।

श्री जसवन्त मेहता : इस किस्म की कपास के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने पर पाबन्दी लगाये जाने के पश्चात गुजरात सरकार ने क्या अभ्यावेदन किया था, कृषि मंत्रालय ने उद्योग मंत्रालय को क्या अभ्यावेदन भेजा था और सरकार इस सम्बंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है जैसा कि आपने विवरण में कहा है कि आपके द्वारा कुछ कार्यवाही की जाने की संभावना है ?

अध्यक्ष महोदय : इतने सारे प्रश्न एक साथ नहीं पूछे जाने चाहिये।

श्री कानूनगो : कपास के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने पर इस पाबन्दी के लगाये जाने के परिणामस्वरूप मूल्य अधिक नहीं बढ़े हैं, जैसे कि जनवरी में बढ़ रहे थे। आजकल स्थिति यह है कि कपास की १,६७,००० गांठों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने के लिये परमिट जारी कर दी गई है और मेरी नवीनतम जानकारी यह है कि यह कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है।

डा० पं० शा० देशमुख : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि कपड़ा आयुक्त की इस एकपक्षीय कार्यवाही से कपास उगाने वालों को भारी हानियां उठानी पड़ती हैं। इस सम्बंध में बार बार शिकायतें की गई हैं और फर्मों ने इस बात पर जोर दिया है कि इससे पहले कि कपड़ा आयुक्त ऐसी कोई कार्यवाही करें उन्हें कृषि मंत्रालय से परामर्श लेना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में उन्होंने परामर्श लिया था ?

श्री कानूनगो : जैसा कि मैं बता चुका हूं सरकार ने सामूहिक रूप से कपड़ा आयुक्त को मूल्यों को स्थिर बनाये रखने का अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपा हुआ है और वह सरकार से परामर्श लिये बिना ही इस सम्बंध में कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि अनेक पिछले अवसरों पर भी अमरावती और अन्य अनेक स्थानों पर भी कपास की मंडियों में काम करने वाले लोगों ने यह शिकायतें की हैं कि इस प्रकार की कार्यवाही स्थानीय कपास उगाने वालों और मंडियों में उनके संघों अथवा बम्बई या गुजरात के कृषि मंत्री अथवा केन्द्रीय कृषि मंत्री से परामर्श लिये बिना ही की गई है ?

श्री कानूनगो : जैसा कि मैं बता चुका हूं सरकार ने कपास के मूल्यों को स्थिर बनाये रखने का अधिकार एक विशेष प्राधिकारी को सौंप दिया है और वह यह कार्य करता है। यदि वह कोई गलत कार्य करता है तो निश्चय ही सरकार उस सम्बंध में कार्यवाही करेगी ।

श्री रंगा : क्या हम यह समझ लें कि केवल इस कारण कि सरकार ने कपड़ा आयुक्त को यह अधिकार सौंप दिया है, कपड़ा आयुक्त इस मामले के सम्बंध में किसी से परामर्श लिये बिना ही कोई कार्यवाही कर सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : यही तो उन्होंने बताया है ।

श्री अ० प्र० जैन : जिस समय पाबन्दी लगाई गयी थी उस समय कपास का क्या मूल्य था, पाबन्दी लगाये जाने के पश्चात् वह किस प्रकार कम हुआ और कितना कम हुआ ?

श्री कानूनगो : जिस समय कपास के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने पर नियंत्रण लगाया गया था उस समय उसके मूल्य अधिकतम सीमा से लगभग १०० रुपये अधिक बढ़ चुके थे ।

श्री अ० प्र० जैन : इस पाबन्दी के परिणामस्वरूप वे कितने कम हो गये ?

श्री कानूनगो : वह केवल अधिकतम सीमा तक ही गिरे हैं वह भी कपास के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाने के लिये परमिटों के जारी किये जाने से । वह अधिकतम सीमा से कम नहीं हुए हैं ?

श्री कपूर सिंह : क्या कपड़ा आयुक्त के विशिष्ट उत्तरदायित्वों में से यह भी एक है अथवा नहीं कि वह इस बात का ध्यान रखे कि कपास उगाने वाले अपने परिश्रम के फल से वंचित न रह जायें, यदि नहीं, तो क्यों नहीं और यदि हां, तो क्या इस विशेष मामले में उसने अपना यह उत्तरदायित्व निभाया था ?

श्री कानूनगो : जी, हां, उन्होंने ऐसा किया था । उन्होंने मूल्यों को बहुत अधिक बढ़ने से रोका था । यदि मूल्य निम्नतम सीमा से भी अधिक नीचे गिर जायें तो उनका उत्तरदायित्व यह है कि वह क्रय करके मूल्यों को स्थिर बनाये रखें ।

श्री कपूर सिंह : मेरा प्रश्न कपास उगाने वालों के हितों की रक्षा करने के बारे में था । उन्होंने मूल्यों के बढ़ने को रोकने के सम्बंध में उत्तर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर रंगा ।

श्री रंगा : इस अधिकतम मूल्य को कौन निर्धारित करता है ? क्या यह कपड़ा आयोग द्वारा अथवा केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा अथवा स्वयं कपड़ा आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाता है ?

श्री कानूनगो : अधिकतम और निम्नतम मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं ।

श्री मान सिंह पृ० पटेल : विभिन्न जिलों पर किस पहलू से पाबन्दियां लगाई जाती हैं जिससे कि कुछ जिलों पर, जैसे कि सूरत और भड़ौच हैं, अधिक प्रभाव पड़ता है ?

श्री कानूनगो : पाबन्दी केवल उन्हीं जिलों पर लगाई जाती है जहां कि इस विशेष किस्म की कपास उगाई जाती है ।

श्री जसवन्त मेहता : इस आदेश के जारी किये जाने के पश्चात गुजरात सरकार ने क्या अभ्यावेदन भेजा था ? और जैसा कि विवरण में बताया गया है जैसे जैसे स्थिति में परिवर्तन होगा सरकार उसके अनुसार कार्यवाही करेगी, तो सरकार द्वारा गुजरात सरकार के इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही किये जाने की सम्भावना है ?

श्री कानूनगो : गुजरात सरकार ने इस मामले के बारे में बातचीत की थी और अब भी उनकी बातचीत जारी है और वे यह महसूस करते हैं कि अब नियंत्रण हटा लिया जाना चाहिये । हम इस पर विचार कर रहे हैं ।

सूती कपड़ा सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति

\+

*७८६. { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री ६ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूती कपड़ा सम्बंधी विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) अभी तक प्रतिवेदन की जांच की जा रही है ।

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या विशेषज्ञ समिति ने दिसम्बर, १९६२ में उसके गठन के पश्चात, सूती कपड़े की लागत के सम्बंध में कोई गहन अध्ययन किया है ?

श्री कानूनगो : जी, हां, वे यह कार्य करते रहे हैं । परन्तु फिर स्थितियों में भी तीव्र गति से परिवर्तन होता रहा है । प्र:शुल्क आयोग ने अध्ययन किया था और फिर विशेषज्ञ समिति ने भी निर्यात के सम्बंध में अध्ययन किया है । स्थितियों में परिवर्तन हो गया है और अध्ययन जटिल होता जा रहा है ।

श्री रामचन्द्र उलाका : सूती कपड़ों के मूल्य को स्थिर रखने के लिये और उनके निर्यात को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कानूनगो : निर्यात के लिये जो प्रोत्साहन दिये जाते हैं उनको छोड़कर इस समय हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि मूल्य को किस प्रकार से कम किया जाये क्योंकि प्राथमिक लागत बढ़ गई है ।

श्री धुलेश्वर मीना : इस विशेषज्ञ समिति के सदस्य कौन कौन हैं और क्या कोई मंत्री महोदय भी इस समिति के एक सदस्य हैं ?

श्री कानूनगो : कोई भी मंत्री इस विशेषज्ञ समिति का सदस्य नहीं है। सदस्यों के नाम इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि यह समिति विद्युत करघों को दिये जाने वाले सूत के प्रश्न पर विचार कर रही है क्योंकि विद्युत करघा कारखानों में यह भारी असंतोष फैला हुआ है कि उन्हें थोड़ा भी सूत नहीं मिल पाता ?

श्री कानूनगो : जी, हां, वे विद्युत करघों की समस्या पर विचार करेंगे परन्तु वे मुख्यतया मिलीजुली कपड़ा मिलों से सम्बंधित हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa : Has this Committee also considered about the small-scale factories in Gujarat which at present are not working due to non-availability of raw material ?

श्री कानूनगो : मैं नहीं समझता कि वस्त्र उद्योग के कोई छोटे पैमाने का कारखाना भी है ।

न्यूयार्क विश्व मेला

+

*७८७. { **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा : }

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री १४ फरवरी, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०९ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुनाव बोर्ड (सेलेक्शन बोर्ड) के सामने कितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे ;

(ख) क्या कोई न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गई थी ; और

(ग) आगामी न्यूयार्क विश्व मेले के भारतीय मंडप के लिए अन्तिम रूप से कितने व्यक्ति चुने गये ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) महिला प्रदर्शकों के पदों के लिये ११८ महिला अभ्यर्थी चुनाव बोर्ड के सामने उपस्थित हुई ।

(ख) जी, हां । निम्नलिखित अर्हतायें निर्धारित की गई थी :—

अर्हतायें : अधिमानतः प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण स्नातिकायें जो धाराप्रवाह रूप से अंग्रेजी बोल सकती हों ।

अनुभव : अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में कार्य करने के पिछले अनुभव को भारत में यात्रा के अनुभव को एक अतिरिक्त योग्यता के रूप में समझा जायेगा ।

आयु : ३० वर्ष से अधिक नहीं और २० वर्ष से कम नहीं ।

(ग) चार विभागीय अभ्यर्थियों को छोड़कर, २० महिला प्रदर्शक अन्तिम रूप से चुनी गई थीं । महिला प्रदर्शकों के अतिरिक्त, विश्व मेले में भारत के भाग लेने के सम्बंध में कार्य करने के लिये ५६ अधिकारियों को न्यूयार्क भेजा जा रहा है ।

श्री हरि विष्णु कामत : चुनाव बोर्ड (सेलेक्शन बोर्ड) के सदस्यों के नाम और उनके शासकीय पदनाम क्या हैं और क्या यह सच है कि कुछ अभ्यर्थियों के मामले में, जिनकी अर्हतायें निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं से कम थी अथवा वे उनको पूरा नहीं करते थे, कुछ मंत्रियों ने अथवा अन्य उच्च-पदासीन व्यक्तियों ने कुछ कह कर के अथवा लिखित रूप से बोर्ड पर उनको चुन लेने के लिये दबाव डाला था और इन ऐसे अभ्यर्थियों में सर्वोच्च पदारूढ़ व्यक्ति का एक निकटसम्बधी भी सम्मिलित है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति, क्या चयन के मामले में निर्धारित नीति का अनुसरण नहीं किया गया है ?

श्री कानूनगो : मेरी जानकारी में यह बात नहीं आई है कि निर्धारित नीति का अनुसरण नहीं किया गया है। जहां तक समिति के गठन का सम्बन्ध है, पर्यटन विभाग के महानिदेशक श्री एस० एन० चिब उसके सभापति थे। एयर इंडिया के श्री एफ० सी० भदवार और श्री एस० के० कूका तथा प्रदर्शिनी निदेशक, श्री पनिक्कर उसके अन्य सदस्य थे।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री महोदय ऐसा एक विवरण सभा-पटल पर रखने के लिये तैयार हैं जिसमें चुने गये सभी अभ्यर्थियों के पूर्ण ब्यौरे, अर्थात्, उन के नाम, इस क्षेत्र में उन की अर्हताएं और पूर्व अनुभव तथा साथ ही उनके माता-पिताओं अथवा संरक्षकों के नाम और उनके शासकीय पदनाम भी, दिये हुए हों ?

श्री कानूनगो : उनके संरक्षकों अथवा माता-पिताओं के नाम तो मुझे नहीं मिल सकते।

अध्यक्ष महोदय : वह चुने गये लोगों के नाम जानना चाहते हैं।

श्री कानूनगो : जो लोग चुने गये हैं उनके नामों को देने वाला एक विवरण मैं सभा-पटल पर निश्चय ही रख दूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : कब वह इस विवरण को सभा-पटल पर रखेंगे ? क्या आज ?

अध्यक्ष महोदय : इस समय नहीं। वह बाद में एक विवरण सभा-पटल पर रख सकते हैं।

श्री तिरुमल राव : क्या सरकार का ध्यान एक प्रमुख दैनिक समाचारपत्र में छपे इन चुने हुए अभ्यर्थियों के दल के एक फोटोग्राफ की ओर गया है जोकि इस शीर्षक के अधीन छपा था कि अधिकांश अभ्यर्थी उच्च अधिकारियों के सम्बन्धी हैं, और यदि हां, तो क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि क्या इन अभ्यर्थियों का चयन करते समय जिन मुख्य बातों का ध्यान रखा गया उनमें से एक इन अभ्यर्थियों का उच्च-पदासीन अधिकारियों के सम्बन्धी होना भी है अथवा नहीं ?

श्री कानूनगो : मेरी जानकारी यह है कि इन इन शर्तों के अधीन विज्ञापन दिये गये थे और उन्हीं के अधीन चयन किये गये थे। परन्तु माननीय सदस्य ने समाचार पत्र के जिस चित्र का उल्लेख किया है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कुछ भी बात हो, मैं चुने गये व्यक्तियों के नाम देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दूंगा और माननीय सदस्य उससे स्वयं यह देख सकते हैं कि समाचारपत्र में लगाये गये आरोप सत्य हैं अथवा नहीं।

श्री त्यागी : क्या चुने गये अभ्यर्थियों के नामों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार प्रार्थनापत्र नहीं दिये थे ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इस न्यूयार्क मेले में कुल कितने कर्मचारी भाग लेने जा रहे हैं और उनके वेतन तथा भत्तों पर कुल कितना रुपया व्यय होगा ?

अध्यक्ष महोदय : जहां तक व्यय का सम्बन्ध है, इस विषय में सूचना आने के पश्चात् माननीय सदस्य लोक लेखा समिति में उसकी जांच कर सकते हैं ?

श्री कानूनगो : केवल एक मामले में नियम विरुद्ध बात की गई थी और वह एक अर्हताप्राप्त हरिजन अभ्यर्थी के मामले में थी ।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : माननीय मंत्री ने यह कहा है कि वह अभ्यर्थियों के केवल नाम बता सकते हैं। जब ये अभ्यर्थी आवेदनपत्र भेजते हैं तो क्या वे अपने पते नहीं लिखते ? जब कभी भी कई अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र भेजता है तो वह अपना स्थायी अथवा अन्य पता अवश्य देता है। कम से कम यह जानकारी तो दी जाये ।

श्री कानूनगो : यदि आवेदनपत्र में पता दिया हुआ होगा तो मैं उसे बताने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री जोकीम आल्वा : ऐसी बहुत सी शिष्ट तथा सुसंस्कृत भारतीय महिलायें हैं जोकि न्यूयार्क में और अमेरिका के अन्य स्थानों में अध्ययन कर रही हैं अथवा अन्य कोई कार्य कर रही हैं। क्या उनको भी नियुक्ति के लिये कोई अवसर दिया गया था जिससे कि विदेश जाने पर होने वाला व्यय बच जाता ?

श्री कानूनगो : विज्ञापन केवल भारत में ही दिया गया था और चुने गये अभ्यर्थियों को अपने कार्य के सम्बन्ध में भारत में एक पूर्वाभ्यास पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता है।

श्री नाथ पाई : क्या यह सच नहीं है देश के बहुत से राज्य एम्पोरियमों में, जैसेकि कुटीर उद्योग एम्पोरियम और राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाने वाले अन्य विभिन्न एम्पोरियमों में, उच्च अर्हताप्राप्त महिलायें हैं जिन्हें इस कार्य में विशेषीकृत अनुभव और आवश्यक सूझबूझ है जिससे कि वह इस प्रकार के कार्य के लिये मुख्य रूप से पात्री हो जातीं जिसके लिये कि अब सार्वजनिक विज्ञापन देकर भरती की गई है ? क्या मैं जान सकता हूं इन पदों के लिये सार्वजनिक विज्ञापन देने से पहिले क्या यह जानने का कोई प्रयत्न किया गया था कि क्या इन एम्पोरियमों के कर्मचारियों में से आवश्यक संख्या में महिलाओं का चयन किया जा सकता है, और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री कानूनगो : सूक्ष्म निरीक्षण से यह प्रतीत होता है कि विज्ञापन देने की प्रक्रिया ठीक नहीं थी। परन्तु, जिन सब संस्थाओं का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया वास्तव में उन सभी को परिपत्र भेजे गये थे और उनसे सक्षम कर्मचारियों के नाम मांगे गये थे ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether those girls who are being trained in dancing for World Fair are being sent abroad with the permission of their parents or their schools ?

Mr. Speaker : At least their consent is there.

श्री कानूनगो : वे सभी वयस्क हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं जिससे कि भविष्य में मार्ग-दर्शन के लिये आपका विनिर्णय मिल सके। कुछ समय पूर्व जब मैंने अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछा था तो आपने विनिर्णय दिया था कि अभ्यर्थियों के मां बाप अथवा संरक्षकों के नामों को जानने का प्रश्न स्वीकार्य नहीं है .

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह तो नहीं कहा था।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा विचार है कि आपने माननीय मंत्री से यह कहा था कि वह अभ्यर्थियों के मां बाप अथवा संरक्षकों के नाम न बतायें .

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने यह कहा था कि यह जानकारी देना उनके लिये सम्भव नहीं होगा परन्तु उन्होंने अभ्यर्थियों के पते बताने का वचन दिया है।

कपड़ा नीति

+

*७६०. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सं० ब० पाटिल :
श्री रामनाथन् चेट्टियार :
श्री कृ० चं० पन्त :

क्या **उद्योग** मंत्री २२ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के आधार पर कपड़ा नीति में परि-वर्तन करने के लिए इस बीच क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में, जोकि मुख्य रूप से कपड़े और सूत के मिल पर मूल्यों से सम्बन्धित है तथा कपड़ा नीति से नहीं, सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री श्रीनारायण दास : निर्णय लेने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

श्री कानूनगो : मैं कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं कर सकता क्योंकि यह एक बहुत ही जटिल समस्या है।

श्री श्रीनारायण दास : क्या १९६३ में कपड़े के उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?

श्री कानूनगो : जी, हां।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : कपड़े के अत्यधिक बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, समिति के प्रतिवेदन को शीघ्र प्राप्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री कानूनगो : सर्वप्रथम तो यह धारणा ही बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि कपड़े के मूल्य बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। बढ़ने की उनकी प्रवृत्ति तो दिखाई देती है ..... (**अन्तर्बाधायें**)। परन्तु सरकार यह अनुभव करती है कि अकेले प्रतिवेदन से अधिक कुछ नहीं होगा। यदि मूल्यों पर नियंत्रण करना है तो अन्य कार्यवाही भी करनी होगी। मुख्य कार्यवाही तो यह होगी कि आवश्यक कपास उपलब्ध करायी जाये क्योंकि वस्त्रों की लागत का ५० प्रतिशत भाग उसी का होता है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : प्रशुल्क आयोग द्वारा क्या बातें प्रकाश में लाई गई हैं जिन से कि जटिलतायें उत्पन्न हो गई हैं और सरकार को एक निश्चित निर्णय पर पहुंचाने से रोक रही हैं ?

श्री कानूनगो : इसका अध्ययन करना होगा क्योंकि प्रशुल्क आयोग ने जब इस प्रश्न की जांच की थी तब से स्थितियों में भारी परिवर्तन हो गया है। जैसेकि एक बात यह है कि हम उतनी कपास का आयात नहीं कर पाते हैं जितनी की हमें आवश्यकता होती है। कपास की फसल हमारी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त नहीं होती है। ऐसी सब बातें हैं जोकि बाद में पैदा हुई हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वर्तमान परिस्थितियों के अधीन, क्या राशन की दुकानों द्वारा अथवा अन्य किसी रूप में कम आय वाले वर्ग के लोगों को और सामान्य ग्रामवासियों को मोटी किस्म के कपड़े और मामूली कपड़े का सम्भरण करने के लिये कुछ कार्यवाही करने का सरकार का विचार है जिस से कि कपड़े के मूल्य निम्नतम स्तर पर स्थिर रह सकें ? क्या इस कार्य को प्रथम पूर्ववर्तिता दी जा रही है ?

श्री कानूनगो : जी, हां ; ठीक इसी बात पर हम विचार कर रहे हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : मोटे कपड़े के मूल्यों में भी जो अधिक वृद्धि हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए, सरकार ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने और उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया है, जिससे कि मूल्यों में वृद्धि के रुक जाने की संभावना है ?

श्री कानूनगो : मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि केवल प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों से ही वह परिणाम नहीं निकलेगा जोकि माननीय सदस्य के विचार में है।

श्री कृ० चं० पन्त : मंत्री महोदय ने यह बताया है कि प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन के पेश किये जाने के पश्चात् स्थितियों में परिवर्तन हो चुका है। क्या इस मामले को फिर से प्रशुल्क आयोग को सौंपने की बात पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री कानूनगो : यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि लागत के अध्ययन के सम्बन्ध में जो काम वह कर चुके हैं वह वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री रंगा : जब छपे हुए मूल्य पर, जिसमें कर भी छपे होते हैं, कपड़ा बेचा जाता है तो उपभोक्ता से लिये जाने वाले मूल्य का कुल कितना प्रतिशत सूत और कपड़े पर बढ़े हुए उत्पादन शुल्क के रूप में सरकार को मिलता है क्या इसका हिसाब लगाया गया है ?

श्री कानूनगो : यह तो स्पष्ट ही है। वह वहां दिया होता है।

श्री रंगा : उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया है कि कपड़े के मूल्यों की बढ़ने की प्रवृत्ति है।

श्री कानूनगो : मैं मिल पर मूल्यों की बात कर रहा हूं।

श्री नाथ पाई : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि सूत को प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई और वर्तमान शुल्कों जैसी कठिनाइयों के परिणामस्वरूप इस उद्योग के, जो कि ५० प्रतिशत से अधिक महाराष्ट्र में और विशेषरूप से मालगांव में स्थित है, कार्य में बड़ी बाधा अनुभव की जा रही है तथा कुछ मिलों में तो उत्पादन बन्द भी हो गया है और सम्पूर्ण उद्योग में ही कार्य की गति बहुत मद्धिम तथा वह ठप्प होने वाला है ?

श्री कानूनगो : मैं यह जानता हूं कि ८० से अधिक काउन्ट वाले सूत की कमी रही है। इसका कारण यह था कि हम उचित समय पर लम्बे रेशे वाली कपास का आयात न कर सके थे। मैं समझता हूं कि स्थिति में सुधार हो जायेगा, हम निरन्तर इसकी जांच कर रहे हैं। ८० काउन्ट से कम वाले सूत की कोई कमी नहीं रही है :

Shri Bade : The hon. Minister has stated that the conditions have changed since the report of the Tariff Commission was submitted and so many complications have arisen. May I know as to what those complications are ?

श्री कानूनगो : मैंने कुछ जटिलतायें तो बता दी हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह बिल्कुल ही पुरानी हो चुकी है परन्तु कुछ नई बातें पैदा हो गई हैं जिनका ध्यान रखना होगा।

श्री बड़े : वे बातें क्या हैं।

श्री कानूनगो : मैं सदन को यह बता चुका हूं कि एक बात तो विदेशी मुद्रा की कमी है जिससे कि हम आवश्यकता के समय कपास का आयात नहीं कर पाते हैं। दूसरी यह है कि भारतीय कपास का उत्पादन पर्याप्त नहीं है। ये ऐसी बातें हैं जो कि उस समय नहीं थीं जब कि यह मामला प्र:शुल्क आयोग को सौंपा गया था।

केरल में खनिज निक्षेप

\+

*७९३. { **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मुरली मनोहर : }

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य में सोना, लोहा, सीसा, लिग्नाइट और चूने के पत्थर के निक्षेप मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सभी को मालूम है कि केरल में सोने, लोहे तथा चूने के पत्थर के निक्षेप हैं। सीसे के निक्षेपों का पता नहीं लगा है। लिग्नाइट की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

खनिज	स्थान	टिप्पणी
१. सोना	विनाड के सोने के क्षेत्र	सोने की बैल्ट के मद्रास से भूतत्वीय नकशे अब केरल तक बना लिये गये हैं। प्राप्ति के बारे में अभी नहीं बताया गया है।
२ लौह-प्रयस्क	एत्ताक्काद. कछेरी, मालाग्राम, मापुवल्लर, नीलाम्बूर तथा कोजीकोड तथा पालघाट जिलों के अन्य स्थान	अब तक ३२ से ३८ प्रतिशत लोहे वाले १७० लाख टनों के रिज़र्वों का अनुमान लगाया गया है।
३ (क) चूने का पत्थर. (सीमेंट वाला)	पडारेट ममन्थीमलै नेसुदंगई	३.५ लाख टन के रिजर्व होने का अनुमान है।
(ख) चूने का पत्थर (दूसरी किस्म का)	वेम्बानाद झील	२० से २५ लाख टन रिजर्व होने का अनुमान है।

श्री रामचन्द्र उलाका : केरल राज्य में पाये गये इन खनिजों का किस प्रकार उपयोग करने का सरकार का विचार है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : अभी सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके बाद उस पर विचार किया जायेगा और तब हम उनके उपयोग पर निर्णय कर सकेंगे।

श्री वारियर : कितने निक्षेपों का पता लगा है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसकी गणना की जानी है। अभी सर्वेक्षण हो रहा है।

श्री बड़े : क्या सरकार केरल के निकट सोने का खनन आरंभ करने जा रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं बता चुका हूं कि सर्वेक्षण किया जा रहा है। अभी यह पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद यदि हम इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि इनका विदोहन किया जा सकता है तो हम निर्णय करेंगे।

डा० मा० श्री अणे : क्या यह सर्वेक्षण केरल में ही किया जा रहा है अथवा समस्त भारत में ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह प्रश्न केरल के बारे में हैं और मैं केरल के बारे में बता चुका हूं। अन्य क्षेत्रों में भी सर्वेक्षण किया जा रहा है।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

+

*७६४. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ग्र० ना० विद्यालंकार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के कर्मचारियों ने ६ जनवरी, १९६४ को हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग क्या है, तथा विवाद को किस प्रकार निबटाया गया है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री बड़े : कुछ कर्मचारी भूख हड़ताल पर थे और श्रमिकों तथा प्रबन्धक से बातचीत करने के लिए बिचौलिये नियुक्त किये गये थे । मैं जानना चाहता हूं कि बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : संघों के कुछ कर्मचारियों ने व्यक्तिगत रूप से भूख हड़ताल की थी और मध्य प्रदेश सरकार ने बीच बचाव करके भूक हड़ताल समाप्त करा दी ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या १९६२ से एच० ई० एल० में कोई हड़ताल हुई है और यदि हां, तो, कितने जनदिन की हानि हुई थी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह प्रश्न ६ जनवरी की हड़ताल से सम्बन्धित है ।

श्री जोकीम आल्वा : सरकार के प्रबन्ध में पांच बड़े कारखाने हैं । हैवी इलैक्ट्रिकल, हैवी मशीनरी तथा तीन इस्पात कारखाने । क्या सरकार इनमें विवाद न होने देने के लिए सुविधाओं, बोनस के मामलों में समान नीति बनायेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम अपनी श्रम नीति बनाते हैं परन्तु दुर्भाग्यवश इन कारखानों में श्रम विवाद होता रहता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि हाल के महीनों में भोपाल के हैवी इलैक्ट्रिकल्स के कार्यवहन में श्रम विवाद के कारण गड़बड़ी आ गई है तथा यदि हां, तो क्या सरकार मामले की विस्तृत जांच करने का विचार कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : भोपाल के कारखाने में इस समय गंभीर विवाद हो रहा है और मैं इस मामले पर विचार कर रहे हैं। वहां पर दो अथवा तीन कार्मिक संघ हैं तथा वह एक दूसरे से प्रतिद्वन्द्विता कर रही है। एक संघ को कानून के अनुसार मान्यता दी गई है। दूसरा संघ उससे लड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से वह कई अवैध तरीके अपना रहा है। हम उस पर विचार कर रहे हैं।

Shri Bade : What was the demands of the employees ?

Mr. Speaker : Order, order, who has permitted the hon. Member to ask question ?

Shri Bade : Mr. Speaker, he has not replied to my question.

Mr. Speaker : Hon. Member should not ask question in this mann

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कृषि उपकरणों का निर्माण

***७७७. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री कृषि उपकरणों के निर्माण सम्बन्धी २० दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए कारखाना स्थापित करने के हेतु जापान की एक फर्म के साथ की जा रही बातचीत इस बीच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) (क) अभी नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्टेनलैस स्टील उद्योग

***७७८. श्री महेश्वर नायक :** क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत स्टेनलैस स्टील उद्योग को मैंगनीज अयस्क तथा रद्दी स्टेनलैस स्टील के निर्यात के बदले स्टैनलैस स्टील का आयात करने की अनुमति होगी ; और

(ख) इस वस्तु विनिमय व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद देश में स्टेनलैस स्टील की औद्योगिक आवश्यकताओं की कहां तक पूर्ति हो सकेगी तथा इससे मेंगनीज खनन उद्योग का कहां तक विकास हो सकेगा ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) वस्तु विनियम प्रबन्ध के अधीन २००० मीट्रिक टन स्टेनलैस स्टील का आयात करने का विचार है। इससे इस्पात के बर्तन बनाने के उद्योग की आवश्यकता पूरी हो जायेगी। परन्तु यह कहना कठिन है कि मैंगजीन खनन उद्योग को कितने अयस्कों की जरूरत होगी क्योंकि अभी यह बताया नहीं जा सकता है कि कितने मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात होगा। परन्तु इतना निर्यात अवश्य होगा जिससे उद्योग को सहायता मिले।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, उड़ीसा

*७८०. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, उड़ीसा के विक्रय तथा उत्पादन केन्द्रों में लाखों रुपये का गबन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) (क) बताया गया है कि २,८८,७२२ रुपये १८ नये पैसे के दुर्विनियोजन का पता लगा है।

(ख) राज्य बोर्ड सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में तथा विभागीय तौर पर कार्यवाही कर रहा है। कुछ व्यक्तियों से अब तक ५,५४० रुपये ७९ नये पैसे वसूल किये जा चुके हैं।

विद्युत् करघा जांच समिति

*७८८ { **श्री जेधे** :
श्री म० ला० जाधव :
श्री लोनीकर :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री अशोक मेहता के सभापतित्व में बनाई गई विद्युत् करघा जांच समिति द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की आशा है ;

(ख) क्या समिति ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं।

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जून, १९६४ तक।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्विटजरलैंड को चाय का निर्यात

*७८९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विस सरकार ने चाय पर से सभी प्रकार का सीमा शुल्क हाल में ही समाप्त कर दिया है और यदि हां, तो उस देश को भारतीय चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) १९६२ और १९६३ में उस देश को कितनी भारतीय चाय का निर्यात किया गया था तथा स्विस सरकार द्वारा हाल में ही दी गई रियायतों को देखते हुए १९६४ में निर्यात में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां। उपभोक्ता को नमूना दे कर स्विटजरलैण्ड में भारतीय चाय बिक्री बढ़ाने का आन्दोलन चाय बोर्ड ने आरम्भ किया है।

(ख) भारत से स्विटजरलैण्ड को चाय का सीधा निर्यात नीचे लिखे अनुसार हो रहा है :—

१९६२	३०५,००० किलोग्राम
१९६३ (जनवरी—नवम्बर)	२९,००० किलोग्राम

स्विटजरलैण्ड में भारत, ब्रिटेन तथा अन्य साधनों से आयात की गई चाय में भारत का अंश अधिक है और वह १९६२ में २४ प्रतिशत थी जो १९६३ में बढ़ कर ३० प्रतिशत हो गई है।

१९६४ में निर्यात संभावनाओं का इतने शीघ्र अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

तीन पहियों की गाड़ी उद्योग

***७९१. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तीन पहियों की गाड़ी उद्योग को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है ;

(ख) क्या इस समय केवल एक ही कारखाना है ;

(ग) यदि हां, तो क्या नये एककों को लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन को ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : जी नहीं।

(ख) इस समय तीन कारखाने तीन पहियों की गाड़ियां बना रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अफ्रीका को पटसन की वस्तुओं का निर्यात

***७९२. श्री महेश्वर नायक :** क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीका को इस समय पटसन की वस्तुओं का कितना निर्यात हो रहा है ; और

(ख) उस महाद्वीप को हमारी पटसन की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) (क) १९६२–६३ में १,०२,५०० मीट्रिक टन ।

(ख) अप्रैल, १९६४ में नाविकों का एक शिष्ट मण्डल उत्तर तथा पश्चिम अफ्रीकी बाजारों का अध्ययन करने के लिए गया था । किस्म नियंत्रण तथा जहाज पर लादने से पहले निरीक्षण लागू किया गया है जिस से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की किस्म का निर्णय हो सके ।

जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

७९५. श्री स० मो० बनर्जी
श्री महेश्वर नायक :
श्री प० ला० बारूपाल
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री चांडक :
श्री राम स्वरूप :
श्री मुहम्मद यूसुफ :
श्री साधू राम :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता जिसका प्रबन्ध तथा नियंत्रण इस समय उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन हो रहा है ; का राष्ट्रीयकरण करने का कोई निर्णय किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकरण की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या अंशधारियों को कोई प्रतिकर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो किस दर पर ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पंजाब में भूतत्वीय सर्वेक्षण

१५९६. श्री हेम राज : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री २० फरवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के कांगड़ा, तथा लाहौल, तथा स्पिती जिलों के भूतत्वीय सर्वक्षण में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) अब तक प्राप्त आंकड़ों की क्या कोई जांच की गई है ;

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). अब तक निम्न प्रगति हुई है :—

पारबती घाटी ; किन्हीं भी खनिजों का पता नहीं लगा है ।

गिरशा घाटी : नारौल क्षेत्र में कापर–कोबाल्ट–निकल की जांच की गई थी। १:१२६७२० पैमाने पर २०८–५६ की किलोमीटर का नक्शा बनाया गया है तथा १.५८ वर्ग किलोमीटर का नक्शा बड़े पैमाने पर टेबल पर है बनाया गया था। कुछ नक्शों का विश्लेषण करने पर मालूम हुआ कि उस में ०.०२ से १.५ प्रतिशत कापर, ०.८ प्रतिशत निकल तथा ३ प्रतिशत कोबाल्ट होने का पता लगा है। रासायनिक नमूनों से मालूम हुआ कि प्रति १० लाख ४००० अंश तांबा तथा प्रतिलाख २५० अंश प्रतिशत कोबाल्ट तथा ६०० अंश प्रतिशत की निकल उन में था। कुल ७.६१ मीटर का ड्रिलिंग किया है। बर्फ के कारण ड्रिलिंग कार्य बन्द कर दिये गये थे और मौसम सुधरने पर काम पुनः चालू हो जायेगा।

स्पिति तथा लाहौल क्षेत्र : गंधक की ३५३ किलोमीटर में खोज की गई थी तथा ०.४६४ वर्ग किलोमीटर के बड़े पैमाने पर नक्शे बनाये गये थे। ६ से ९ मीटर मोटी तह तथा पाइराइट और मैले लाइट खनिज का होने का पता लगा है। जिप्सम में कुछ गंधक मिली हुई मिली है। गंधक के रिजर्वों का अनुमान लगाने से पूर्व अग्रेत्तर काम करना आवश्यक है।

उड़ीसा में छोटे पैमाने की इकाइयां

१५९७. श्री राम चन्द्र उलाका : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में उड़ीसा में औद्योगिक विस्तार सेवा द्वारा कुल कितनी छोटे पैमाने की इकाइयों को लाभ पहुंचा है, और

(ख) उसी अवधि में उड़ीसा में उन इकाइयों को कितनी राशि के ऋण दिये गये ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो : (क)

	१९६३–६४ (फरवरी १९६४ तक)
१. फैक्टरियां में जाने के अवसर . .	४८२
२. पक्षों को प्रविधिक सलाह दी गई . .	३८९
३. नवीन उद्योग स्थापित करने के लिये पक्षों को सूचना दी गई .	१९६
४. पक्षों को अन्य सहायता दी गई . .	४०० बार

(ख) ८० लाख रुपये राज्य वित्त निगम और उद्योग निदेशक द्वारा उद्योग अधिनियम को राजकीय सहायता के अन्तर्गत। स्टेट बैंक द्वारा उड़ीसा में छोटे पैमाने की इकाइयों को दिये गये ऋण संबंधी आंकड़े मालूम नहीं हैं।

उड़ीसा में औद्योगिक इकाइयां

१५९८. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंच वर्षीय योजना के पहले वर्ष में उड़ीसा में कौन कौन से नये औद्योगिक एकक स्थापित किये गये थे; और

(ख) १९६४–६५ में राज्य में कौन कौन से नवीन औद्योगिक एकक स्थापित किये जाने का विचार हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) कोई नहीं ।

(ख) हीरा में एक कताई मिल, और दूसरा झरसुगुडा में, चौदवार में, एक टाइल फैक्टरी, रायगाड़ा में फैरो-सिलिकोन संयंत्र और गंजम में एक कास्टिक सोडा संयंत्र। उड़ीसा में १९६४–६५ में स्थापित किये जाने की आशा की जाती है ।

दिल्ली में अत्यावश्यक पदार्थों का वितरण

१५९९. { **श्री रा० गि० दुबे** :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उपभोक्ता संस्था ने राजधानी में अत्यावश्यक पदार्थों के उचित वितरण और संभरण के संबंध में सलाह देने के लिये एक सलाहकार समिति स्थापित किये जाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री श्री कानूनगो : (क) दिल्ली में उपभोक्ता संस्था नहीं है । तथापि दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर समिति नई दिल्ली ने दिल्ली राज्य के असैनिक सम्भरण निदेशालय में एक सलाहकार समिति स्थापित करने का सुझाव दिया है ।

(ख) जनवरी १९६४ में मुख्य आयुक्त दिल्ली द्वारा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में चीनी और खाद्यान्नों के समाहार के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन को सलाह देने के लिए एक चीनी और खाद्यान्न सलाहकार समिति बनाई गई थी।

उर्वरक तथा पैट्रो-रसायन उद्योगों के लिये मशीनें

१६००. { **श्री यशपाल सिंह** :
श्री उमानाथ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उर्वरक और पेट्रो-रसायन उद्योगों द्वारा अपेक्षित मशीनरी बनाने का एक संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संयंत्र सरकारी क्षेत्र में होगा, और

(ग) कब निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). सरकार ने केरल में मैसर्स उर्वरक एकक रसायन, त्रावनकोर समिति, अलवाये को लेकर एक आशय पत्र जारी किया है, और उस कंपनी पर भारत सरकार केरल सरकार तथा कुछ अन्य राज्य सरकारों का स्वामित्व है, जो प्रैशर वैसलों और रसायनिक उपकरण की अन्य वस्तुओं के

निर्माण के लिये एक वर्कशाप स्थापित करेगी । तीसरी योजना के लक्ष्यों को पूरा करने तथा चौथी योजना अवधि में होने वाली आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विविध प्रकार की मशीनरी बनाने के लिये अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिये अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

फलों का निर्यात

१६०१. श्री यशपाल सिंह : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केले और अन्य भारतीय फलों की विदेशों में बहुत अधिक मांग है ?

(ख) यदि हां, तो भारतीय किसानों को क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं ; और

(ग) १९६२–६३ में फलों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) विदेशों में केले और अन्य फलों के निर्यात को बढ़ाने की सम्भावनाएं हैं ।

(ख) फल उत्पादन विभाग की योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में सभी राज्यों और केन्द्रीय राज्य क्षेत्रों में मंजूर की गई है । इस योजना के अन्तर्गत ३०० रुपये प्रति एकड़ (पहाड़ी क्षेत्रों के लिये ५०० रुपये प्रति एकड़) के हिसाब से नवीन बाग लगाने के लिये दीर्घ कालीन ऋण और पुराने बागों के जीर्णोद्धार के लिये प्रतिएकड़ ६५ रुपये के हिसाब से अल्प-कालीन ऋण राज्य सरकारों द्वारा फल उत्पादकों को दिये जाते हैं। राज्य के कृषि विभाग द्वारा प्रविधिक सलाह भी दी जाती है ।

(ग) १९६२–६३ में ६० लाख रुपये।

जूतों और चप्पलों का निर्यात

१६०२. { **श्री यशपाल सिंह** :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वाजी :
श्री मे० क० कुमारन : }

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में विदेशों को कितने जूतों और चप्पलों का निर्यात किया गया ;

(ख) कुल कितनी राशि की विदेशी मुद्रा कमाई गई,

(ग) भारत में निर्माताओं को क्या प्रोत्साहन दिया गया ; और

(घ) विदेशी बाजारों में अब वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). जूते और चप्पल 'फुटवियर' जातीय वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाते हैं। १९६२–६३ और १९६३–६४ (अप्रैल–दिसम्बर) में क्रमशः ५३ लाख और ३४ लाख जोड़े निर्यात किये गये और क्रमशः २७० लाख रुपये और २५३ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा कमाई गई ।

(ग) आधुनिकरण और बदलने के लिये अपेक्षित मशीनरी और फुटवियर बनाने के लिये अलभ्य कच्चे माल के आयात के रूप में फुटवियर की विशेष निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन दिया जाता है । किस्म के आधार पर शुल्क वापिस दिया जाता है ।

(घ) विदेशी नुमायशों में फुटवियर के नमूनों का प्रदर्शन और विदेशी क्रेता की आवश्यकताओं और उपयोगिता जानने के लिये स्वयं निर्यातकों द्वारा तत्स्थान अध्ययन जैसे दो महत्वपूर्ण कार्य विदेशों में भारतीय फुटवियर को लोकप्रिय बनाने के लिये किये जाते हैं।

राजस्थान में नमकीन जल क्षेत्र

१६०३. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीकर (राजस्थान) के समीप नमकीन जल क्षेत्र पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) नमकीन जल क्षेत्र वामगार—फतेहपुर—चुवास क्षेत्र के पश्चिम में स्थित है । अब तक किये गये अनुसंधान से पता चलता है कि सीकर के समीप जल उत्तम किस्म का है, किन्तु पश्चिम की ओर किस्म तेजी से घट रही है, और रतनगढ़, रुखासार, सूरतगढ़, बिदसार, भीमसर, बारुवासी, मानसार, रवारिया आदि क्षेत्रों में क्लोराइयों का अधिक संचय गुजर रहा है ।

जम्मू तथा काश्मीर में स्विच गियर फैक्टरी

१६०४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री २० दिसम्बर १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९९६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तब से जम्मू तथा काश्मीर में परियोजित स्विचगियर फैक्टरी की स्थापना के बारे मे तब से क्या प्रगति की गई है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : योजना के बारे में कोई अधिक प्रगति नहीं की गई । फरीदाबाद से जम्मू तथा काश्मीर में हीरानगर में इस फैक्टरी को लेजाने का फर्म का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है ।

जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने यह सूचित किया है कि उसे बिजली उपकरण के निर्माण के लिये एक इकाई स्थापित करने में कोई रुचि नहीं है।

इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड

१६०५. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड अपने कुछ संयंत्रों में नाइट्रोजन तथा आक्सीजन बनाने की अपनी विद्यमान क्षमताओं में काफी वृद्धि करने की योजना बना रही है ;

(ख) विस्तार योजनाओं के अन्तर्गत उत्पादन कार्यक्रम क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने योजनाओं के लिये मंजूरी दे दी है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग) इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड, कलकत्ता के वहां पर १०८० लाखघन फुट प्रति वर्ष अपनी आक्सीजन क्षमता को बढ़ाने और विशाखापतनम में २८८ लाख घन फुट प्रति वर्ष तथा विशाखापतनम में ६० लाख घन फुट प्रतिवर्ष नाइट्रोजन बनाने की क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव स्वीकार कर लिये गये हैं और आशय पत्र जारी कर दिये गये हैं।

गोमिया विस्फोटक पदार्थ फैक्टरी में हड़ताल

१६०६. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुधांशु दास :
श्री महेश्वर नायक : }

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोमिया विस्फोटक पदार्थ फैक्ट्री में दिसम्बर, १९६३ में हड़ताल हुई थी ?

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण थे; और

(ग) हड़ताल किन शर्तों पर समाप्त हुई ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). १० दिसम्बर, १९६३ से २६ दिसम्बर, १९६३ तक गोमिया विस्फोटक पदार्थ फैक्टरी में हड़ताल हुई थी। हड़ताल न्यायाधिकरण पंचाट के आई० ई० एल० प्रबन्धक द्वारा क्रियान्विति के मामले पर आरम्भ हुई थी। हड़ताल बिहार राज्य सरकार के अधिकारयों के हस्तक्षेप करने पर हटा ली गई।

ट्रैक्टरों का आयात

१६०७. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से ट्रैक्कटर मंगवाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने और प्रत्येक की कीमत क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां।

(ख) १९६४ में रूस से ऐसे १४०३ ट्रैक्टरों का आयात करने का विचार था। विविध प्रकार के ट्रैक्टरों और प्रत्येक किस्म के एक ट्रैक्टर की लागत बीमा भाड़ा समेत नीचे दर्शाई जाती है :—

नमूना	लागत, बीमा भाड़ा यूनिट	मात्रा
	रु०	
१. डी टी—१४ बी	३५००	७००
२. डी टी —२८	६२५०	१००
३. एम टी—जैड ५	८५००	५५३
४. बेलारस एमटी—जैड ५०	१०६२०	५००

पश्चिम बंगाल में खनिज

१६०८. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात खान, और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में बहुत से खनिज पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). मिट्टी तथा घटिया किस्म के मैंगनीज़ अयस्क गेरू, सेलखड़ी और थोड़ा तथा महत्वहीन जिप्सम, कंकर, लोह अयस्क, रक्तमणि, और क्रेपासाइट उस जिले में पाई गई हैं ।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

१६०६. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल ने हाई प्रैशर बायलरों का निर्माण आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) चालू वर्ष में कितने बायलरों का निर्माण किया जाएगा ; और

(घ) क्या ऐसे बायलरों के निर्माण का कोई आयोजित लक्ष्य है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ). हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, मद्रास राज्य में तिरुवरम्बूर, तिरुचिरापल्ली जिले में १००/१२० मैगावाट और बड़े पैमाने के भाप चालित टर्बाइनों के लिये उपयुक्त ७½ लाख किलोवाट प्रति वर्ष क्षमता के लिये हाई प्रैशर बायलर बनाने का संयंत्र लगा रही है । निर्माण कार्य मई १९६३ में आरम्भ हुआ था और १९६५ के शुरू में संयंत्र द्वारा उत्पादन आरम्भ किये जाने की आशा है ।

बढ़िया किस्म के कोयले के निक्षेप

१६१०. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रानीगंज झारिया और पूर्वी बोकारो कोयला क्षेत्रों के संबंध में कोयला परिषद की संसाधन समिति ने बढ़िया किस्म के कोयले के कुल निक्षेपों का अनुमान लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या व्यौरा है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) संसाधन मूल्यांकन समिति ने अभी तक झरिया, रानीगंज और पूर्व बोकारो के सम्बंध में किस्तवार

कोयले के निक्षेपों का अनुमान लगा लिया है। उनके अनुमान के अनुसार, प्रथम श्रेणी के (अर्थात चुनीन्दा क और चुनीन्दा ख) मिट्टी समेत कोयले के निक्षेप इन कोयला क्षेत्रों में इस प्रकार है :–

	लाख मीटरी टन
झरिया	६६१७·६
रानीगंज . .	४१८७·१
पूर्वी बोकारो	२३०·१
कुल जोड़ . .	११०३५·१

झरिया में मूनिधि परियोजना

१६११. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झरिया में मूनिधि परियोजना में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस परियोजना से कोरिंग कोयले के उत्पादन का अन्तिम लक्ष्य कितना है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और पोलैण्ड के 'सेकोप' के बीच परियोजना करार अन्तिम रूप से हो गया है ;

(घ) यदि हां, तो करार की क्या शर्तें हैं ; और

(ङ) क्या खान उसी तरीके से चलाई जाएगी, जो सुदामादीह गहरी खान में राष्ट्रीय कोयला विकास निमग द्वारा अपनाया गया है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) मोनीढीह खान में उतरने का रास्ता खोदने का काम १७ मार्च १९६४ को आरम्भ किया गया था।

(ख) इस खान का अन्तिम उत्पादन लक्ष्य २० लाख टन प्रति वर्ष होगा।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय कोयला निकाय निगम ने पोलैण्ड के मैसर्स सेकोप के साथ तीन करार किये हैं। पहला ५६·१८ लाख रुपये की लागत पर उतरने का मार्ग बनाने का उपकरण देने के लिये है। दूसरापरियोजना प्रतिवेदन और विस्तारपूर्वक डिजाइन और ड्राइंग देने का है, जिसकी लागत ४·३५ लाख रुपये है। तीसरा करार उतरने का मार्ग बनाने के काम का पर्यवेक्षण करने के लिये पोलैण्ड के विशेषज्ञ देना है। उन के वेतन आदि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा दिये जायेंगे।

(ङ) जी नहीं। सुदामादीह में खोदने का काम रेत की भराई का प्रयोग करके किया जाएगा किन्तु मोनीदीह में, खनन कार्य गुफा खोदने के तरीके से किया जाएगा।

राजस्थान में सिलिनाइट के निक्षेप

१६१२. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में पचबदारा से बारह मील दूर थोबे गांव में सिलीनाइट के बड़े निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रमण्यम) : (क) पता चला है कि सिलीनाइट थोबे गांव में है। हाल में किसी नवीन निक्षेप का पता नहीं लगाया गया।

(ख) राजस्थान सरकार से प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार सिलीनाइट बाड़मेर जिले में थोबे गांव के समीप बड़े "फ्लैट डिप्रैशन' में मिलता है। लगभग १५ लाख टन निक्षेपों का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

१६१३. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की ओर से दूसरी और तीसरी पंच वर्षीय योजना अवधियों में कितनी राशि के ऋण दिये गये ; और

(ख) इस ऋण में से प्रत्येक उद्योग के विकास के लिये कितनी राशि खर्च की गई ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :

(क) दूसरी योजना में . .	१५·१० लाख रुपये
तीसरी योजना में . .	५३·६१ लाख रुपये
(ख) दूसरी योजना में प्रयुक्त राशि	कुछ नहीं
तीसरी योजना में प्रयुक्त राशि	२५·४७ लाख रुपये

उद्योगवार प्रयुक्त राशि का ब्योरा नीचे दिया जाता है :—

उद्योग	प्रयुक्त राशि (ऋण)
	लाख रुपये
१. खादी . .	०·६८
२. अनाजों और दालों का परिशोधन	२·२१
३. ग्राम तेल	११·२२
४. ग्राम चमड़ा	३·४०

उद्योग	प्रयुक्त राशि (ऋण)
५. कुटीर माचिस .	०·७४
६. गुड़ और खण्डसारी . .	३·५२
७. अखाद्य तेल और साबुन . .	१·४७
८. खजूर गुड़ .	०·६७
९. हाथ का बनाया कागज	०·६६
१०. ग्राम मिट्टी के बर्तन	०·२९
११. कपड़ा रेशे	०·१४
१२. बढ़ई और लुहार का काम	०·१७
योग	२५·४७

काफी के बीजों की कीमत

१६१४. श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी के बीजों की कीमतों में फरवरी १९६४ के प्रारम्भ से वृद्धि हो गई ;

(ख) यदि हां, तो बीजों और काफी पाउडर की परचून बिक्री में प्रति किलो कितनी वृद्धि हुई ; और

(ग) इस वृद्धि से उपभोक्ता के हितों का किस मात्रा में लाभ होता है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

१६१५. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध बोर्ड में, जिसका नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, व्यक्तियों के नाम और पद क्या हैं ;

(ख) कथित उपक्रम के अंशधारियों का क्या योगदान है और इस समय उनकी वास्तविक स्थिति क्या है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा नियंत्रण के दौरान अंशों के मूल्य बढ़ गये हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस उपक्रम को संभालने से पूर्व अंशों के मूल्य से इसकी क्या तुलना है ; और

(घ) अंशों का वर्तमान बाजार-मूल्य क्या है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २५९६/६४]**

गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात का उत्पादन

१६१६. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चतुर्थ योजना में गैर सरकारी क्षेत्र में इस्पात के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता मंजूर करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). जी, हां। चतुर्थ योजना के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र में दो बड़े इस्पात कारखानों को मेसर्ज टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड और इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को अपनी वर्तमान क्षमता क्रमश : २० लाख टन और १० लाख टन को बढ़ाकर क्रमश : ३० लाख टन और २० लाख टन करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।

केलों का निर्यात

१६१७. श्री जेधे : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केलों का निर्यात बढ़ाने के लिये विदेशों को भेजे गये शिष्टमण्डल ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : जी, हां।

(ख) एक सूची संलग्न है जिसमें केला शिष्टमण्डल की सिफारिशें दी गयी हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २५९७/६४]**

हथकरघा कपड़े का निर्यात

१६१८. { **श्री धुलेश्वर मीना** :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, १९६३ से आज तक हथकरघा निर्यात संगठन और इसकी सहयोगी संस्था द्वारा हथकरघा कपड़े का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया, और

(ख) इसी अवधि में देश के भीतर हथकरघा कपड़ा कितनी मात्रा में बेचा गया ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) अगस्त, १९६३ से २९ फरवरी, १९६४ तक हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम द्वारा ७,०५,७९९ रुपये के मूल्य का २,३६,६६९ गज हथकरघा कपड़े (सूती/रेशमी) का निर्यात किया गया।

(ख) इसी अवधि में देश के भीतर २,६१,८८८ रुपये के मूल्य का ५६,१७४ गज कपड़ा निर्यात किया गया।

राजस्थान में कपड़ा मिलें

१६१६. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६३-६४ में राजस्थान में कपड़ा मिलें स्थापित करने के लिये कितने लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ख) मिलों के लिये कितने तकुवों की क्षमता मंजूर की गयी है।

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). वर्ष १९६३-६४ में राजस्थान में वर्तमान सूती कपड़ा मिलों के पर्याप्त विस्तार के लिये कुल ३८१८० तकुवों के ५ लाइसेंस दिये गये। कोई नयी मिल स्थापित करने के लिये कोई लाइसेंस नहीं दिया गया।

राजस्थान में अम्बर चरखे

१६२०. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वर्ष १९६३-६४ में कितने अम्बर चरखे वितरित किये गये ;

(ख) इसी अवधि में चल रहे अम्बर चरखों की क्या संख्या है ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में कुल कितने गज धागा तैयार किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)। (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जावेगी।

नमक कारखानों को ऋण

१६२१. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६३-६४ में देश में किसी नमक कारखाने को कोई ऋण अथवा अनुदान दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां

(ख) वर्ष १९६३–६४ में नमक कारखानों को मंजूर किये गये ऋण का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

नमक लाइसेंसधारी का नाम	ऋण की रकम
	रुपये
१. मेसर्ज़ अप्पाना वेंकटा सुब्बाराव रामचन्द्र राव एण्ड ब्रदर्स, बालाचेरूवु साल्ट फैक्टरी, पेडागांतियाडा डाकखाना बरास्ता गांधीग्राम, विशाखापटनम	९५,०००
२. मेसर्ज़ कलिंग साल्ट इन्डस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, नौपाडा (मुख्य कार्यालय : नया सड़क, कटक)	९९,०००
३. सर्वश्री एडुरी पट्टाभिराम रेड्डी एण्ड एडुरी राजम्मा, कृष्णयटम साल्ट फैक्टरी	२०,०००

खादी आयोग के प्रकाशन

१६२२. { **श्री कपूर सिंह :**
श्री गुलशन :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी आयोग अनेक प्रकाशनों का विक्रय करता है ;

(ख) यदि हां, तो खरीदार को इन प्रकाशनों की खरीद से पूर्व एक या दो फार्म भरने पड़ते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन फार्मों में क्या जानकारी मांगी जाती है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। प्रकाशनों को प्राप्त विशिष्ट क्रयादेशों पर बेचा जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बीड़ियों का निर्यात

१६२३. { **श्री धर्मलिंगम :**
श्री मुत्तु गौंडर :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से बीड़ियों के आयात पर लंका सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध के फलस्वरूप तम्बाकू निर्यात संवर्द्धन परिषद के वैकल्पिक निर्यात मंडी ढूंढने के प्रयत्न सफल हुए हैं ;

(ख) इस समय बीड़ियों का निर्यात किन वैकल्पिक देशों को किया जा राह है ; और

(ग) दक्षिण में अधिक बीड़ी उत्पादन को देखते हुए इस बारे में लंका सरकार से पुनर्विचार करने को कहा गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कनूनगो) : (क) भारतीय बीड़ियों के लिए नयी मंडियां ढूंढने के लिए अभी प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

(ख) मलयेशिया और अदन ।

(ग) जी हां, लेकिन सफलता नहीं मिली है ।

सहकारी समितियां

१६२४. { **श्री गुलशन** :
श्री य० ना० सिंह :
श्री प० ह० भील : }

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६० से १९६४ तक की अवधि में छोटे पैमाने के उद्योगों को पर्मिट देने के लिए कितनी सहकारी समितियों का पंजीयन किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : छोटे पैमाने के उद्योगों को पर्मिट देने के लिए सहकारी समितियों का विशिष्ट रूप से कोई पंजीयन नहीं किया जाता । संभवतः उन औद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी जा रही है जिनका वर्ष १९६० से १९६४ तक की अवधि के दौरान पंजीयन किया गया था और उन समितियों की संख्या जिन्होंने अपने काम में सुविधा के लिए एक या दूसरे प्रकार के पर्मिट लिए हैं यह जानकारी एकत्र की जा रही है ।

प्राकृतिक रबड़ का मूल्य

१६२५. श्री वासुदेवन नायर : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक रबड़ के मूल्य अभी भी घटते जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका वर्तमान मूल्य क्या है और नियंत्रण समाप्त किए जाने से पूर्व इसके क्या मूल्य थे ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्राकृतिक रबड़ की कुछ किस्मों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम मूल्य और इन श्रेणियों के लिए नौतल-पर्यन्त-निःशुल्क कोचीन, वर्तमान मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

श्रेणी	सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य	वर्तमान मूल्य
	(५० किलोग्राम के लिए)	(५० किलोग्राम के लिए)
आर० एम० ए० १एक्स } आर० एम० ए० १ .	१६१.५०	१६२.६३ से १६६.७३
आर० एम० ए० २ . .	१५९.८५	१६१ से १६२.६३
आर० एम० ए० ३ . .	१५८.२०	१६०.४२ से १६१

दिल्ली में निर्यात उत्पाद मण्डप[1]

१६२६. { श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री ग्र० व० राघवन :

क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में निर्यात उत्पाद मण्डप फिर से खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गये हैं ; और

(ग) मण्डप कब से खोला जाएगा ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां।

(ख) इस कार्य के लिए मथुरा रोड पर प्रदर्शनी स्थल में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) इस समय यह बताना कठिन है।

लौह अयस्क का निर्यात

१६२७. श्री रा० गि० दुबे : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६३ में कारवाड़ और बेलीकेरे पत्तनों से कुल कितने लौह अयस्क का निर्यात किया गया ;

(ख) वर्ष १९६४ के लिए क्या कार्य-क्रम है;

(ग) क्या यह सच है कि हुबली-कारबार और बेलीकेरे से लौह अयस्क ले जाने वाले ट्रक खाली लौटते हैं और यदि वापसी के लिए सामान दिया जाए तो लौह अयस्क की परिवहन लागत बहुत कम होगी ; और

(घ) क्या सरकार को मैसूर सरकार से वापसी के लिए सामान का उपबन्ध करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ४,४२,००० मीटरी टन।

(ख) ५,००,००० मीटरी टन ।

(ग) जी, हां ।

(घ) परिवहन मंत्रालय को कुछ सुझाव दिए गये थे, जो कि इस मामले पर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के परामर्श से विचार कर रहा है।

पंजाब की कोयले की मांग

१६२८. श्री दलजीत सिंह : क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६३ में पंजाब की विभिन्न श्रेणियों के कोयले की कितनी मांग रही ; और

(ख) यह मांग किस हद तक पूरी की गयी ?

[1]Export Products Pavilion.

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). वर्ष १९६३ में पंजाब की विभिन्न श्रेणियों के कोयले की स्वीकृत मांग और इस मांग के विपरीत संभरण के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

(आंकड़े वैगनों में)

	आवंटन	संभरण
कोयला	३२,८९६	४८,३०३
हार्ड कोक	२,९४७	
सोफ्ट कोक . . .	११,१०६	१०,२३८
कुल . .	४६,९४९	५८,५४१*

*परिवहन स्थिति में सुधार के कारण तदर्थ आवंटन किए जाने से संभरण आवंटन से अधिक हो गया है।

नया इस्पात ढलाई कारखाना

१६२९. श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी के 'क्रुप्स' के साथ एक नए इस्पात ढलाई कारखाने (फाउन्ड्री) के निर्माण के लिए कोई करार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्केण्डीनेवियाई देशों को निर्यात

१६३०. श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्केण्डीनेवियाई देशों में हमारी चाय, काफी, मसालों, सूती कपड़े की अच्छी मंडी है ; और

(ख) यदि हां, तो इन देशों को इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कनूनगो) : (क) नार्वे में भारतीय काफी और स्वीडन में चाय की मांग बढ़ रही है। हमारे मसाले मुख्यतः स्वीडन द्वारा और सूती कपड़ा डेन्मार्क द्वारा खरीदा जाता है। निर्यात संबंधी एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २५९८ / ६४]**

(ख) नार्वे और डेन्मार्क की सहकारी समितियों का एक शिष्टमंडल इस वर्ष व्यापार संभावनाओं का पता लगाने के लिए फरवरी–मार्च में भारत आया। इस वर्ष के अन्त में स्वीडन से भी एक ऐसा ही शिष्टमंडल आने वाला है। चाय के लिए पश्चिम यूरोप के अन्य भागों के साथ स्कैण्डीनेविया में गहन प्रचार आन्दोलन के लिए ब्रुसेल्स में एक कार्यालय खोल दिया गया है। भारत सरकार और अन्यों के दबाव पर इन सभी देशों की सरकारें चाय पर आयात शुल्क समाप्त करने को राजी हो गयी हैं। निर्यात बढ़ाने के अन्य उपाय व्यापारियों के दौरे को प्रोत्साहन, मंडी सर्वेक्षण, प्रचार आन्दोलन और मेलों और प्रदर्शिनियों में भाग लेना है।

मनीपुर का भूतत्वीय सर्वेक्षण

१६३१. श्री रिशांग किशिंग : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज पदार्थों का पता लगाने के लिए मनीपुर का कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या सर्वेक्षण के आधार पर खनिज संसाधनों का विकास/विदोहन करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) यदि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के फलस्वरूप एस्बेस्टस, अबरख, चूने के पत्थर, तांबा और निकल, क्रोमाइट, नमक और लिग्नाइट के होने का पता चला है। चूने के पत्थर के अतिरिक्त अन्य खनिज पदार्थ आर्थिक महत्व के नहीं हैं।

(ग) इस बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

खादी की बिक्री पर छूट

१६३२. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खादी ग्रामोद्योग आयोग के बिक्री पर छूट की वर्तमान नीति के स्थान पर बुनकरों को प्रत्यक्ष भुगतान की एक योजना के प्रस्ताव का परीक्षण कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो किए गए निर्णय का क्या स्वरूप है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां।

(ख) नयी योजना अप्रैल, १९६४ के आरम्भ से लागू करने का प्रस्ताव है।

नमक का उत्पादन और निर्यात

१६३३. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री बुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक के उत्पादन और निर्यात में काफी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं। बल्कि इसके विपरीत पिछले तीन वर्षों में नमक के उत्पादन और निर्यात में निरन्तर वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) नमक उत्पादकों को रासायनिक उद्योग की नमक की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए हर प्रोत्साहन और सहायता दी जाती है।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

१६३४. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **उद्योग** मंत्री २१ फरवरी, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय सक्रिय रूप से चल रही औद्योगिक बस्तियों के क्या नाम हैं ;

(ख) किस किस में अभी काम चलना शुरू नहीं हुआ है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) किन स्थानों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है ?

उद्योग [illegible] श्री अ० व० राघवन (क) १. इन्दौर २. ग्वालियर ३. भोपाल ४. उज्जैन ५. रायपुर ६. सागर ७. [illegible] [illegible]

(ख) और (ग).

औद्योगिक बस्ती का नाम	बस्ती के अभी चालू न होने के कारण
१. जबलपुर	बिजली की कमी के कारण, जो कि अमरकंटक तापीय बिजली घर से वर्ष १९६४ के मध्य में ही उपलब्ध हो सकेगी, उत्पादन आरम्भ नहीं किया जा सका।
२. सतना	तदेव
३. दुर्ग	भूमि के विकास के प्राक्कलन राज्य सरकार के परीक्षणाधीन हैं ।
४. कटनी ५. बिलासपुर ६. रतलाम	निर्माण-कार्य प्रगति पर है ।

(घ) अभी तक राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

Manufacture of Hindi Typewriters

1635. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Industry** be **pleased** to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to manufacture **Hindi** Typewriters ;

(b) if so, when and with whose collaboration ; and

(c) the amount of foreign exchange required therefor.

The Minister of Industry (Shri Kanungo) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

पावरलूम कारखाने

१६३६. { **श्री जेधे :**
श्री मा० ल० जाधव :
श्री लोनीकर : }

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पावरलूम कारखानों की क्या संख्या है जो ४९ से अधिक करघों का सूती धागा इस्तेमाल कर रहे हैं; राज्यवार वे कहां पर स्थित हैं और पावरलूम की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इस समय उनमें से कितने चल रहे हैं ; और

(ग) वर्ष १९६०-६१ से १९६३-६४ तक के दौरान हर वर्ष इन कारखानों से कितना राजस्व वसूल किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Leipzig Fair

1637. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **International Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of India have **participated** in the Leipzig Fair this year ;

(b) if so, the categories of Indian goods entered into for trade **publicity**; and

(c) the total value of goods sold at the fair ?

The Minister of Industry (Shri Kanungo) : (a) Yes, Sir.

(b) The categories of goods displayed at the Fair included :

(i) Engineering goods (Diesel engines, Lathes, Electric Motors, automatic looms, textile processing machinery, duplicating machine, surgical equipment, cables and wires, measuring and electrical instruments, metal castings, textile bleaching machine, air compressor, machine tools, batteries, cameras, burners, stoves, air conditioners, water coolers etc.) ;

(ii) Cotton textiles, silk & Rayon fabrics, woollen goods, handloom goods ;

(iii) Chemicals, drugs, pharmaceuticals, mineral ores, mica, shellac and lac products ;

(iv) Food products, alcoholic and non-alcoholic drinks, etc. including fish, tobacco and tobacco products, spices, tinned vegetables fruits etc.

(v) Cosmetics and perfumery : Essential oils, agarbathi, toilet items ;

(vi) Sports goods, plastic goods, linoleums, Handicraft goods (articles of ivory, rosewood, sandalwood etc. Batik paintings, bidriware laquerware, imitation necklaces etc.), carpets, leather goods etc. coir and jute floor coverings;

(vii) Books, publications, maps, charts, photographs and other publicity materials ;

(c) Goods of the value of Rs. 80,000/- were sold during the Fair. The value of contracts entered into is Rs. 142 lakhs approximately. Further negotiations between Indian parties and German Democratic Republic are still continuing and their outcome will be known in due course.

खादी आयोग में छंटनी

१६३८. श्री अ० व० राघवन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों को सेवा से निकाले जाने के नोटिस इस आधार पर दिये गये हैं कि आपातकाल समाप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को नोटिस दिये गये हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिए कम्बलों का संभरण बन्द कर दिया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के लिए, अस्थायी और आकस्मिक तौर पर, दैनिक मजरी पर भर्ती किए गए कुछ कर्मचारियों को उस अतिरिक्त काम के, जिसके लिए वे रखे गए थे, पूरा होने पर सूचित किया गया कि ३१–३–१९६४ के बाद उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रहेगी । यद्यपि नोटिसों में 'आपातकाल' शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसका 'राष्ट्रीय आपात' से कोई संबंध नहीं है ।

(ख) ३८ ।

(ग) संभरण पूरा हो गया है ।

सभा पलट पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपति अयूब खां के बीच पत्र-व्यवहार

बिना विभाग के मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं हाल ही के साम्प्रदायिक उपद्रवों से उत्पन्न समस्याओं पर विचार करने के लिये भारत सरकार तथा पाकिस्तान के गृह मंत्रियों की बैठक के प्रस्ताव के बारे में हमारे प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति अयूब खां के बीच हुए पत्र-व्यवहार की प्रतियां सभा पटल पर रखता हूं । हम चाहते हैं कि, यदि सम्भव हो तो, यह बैठक अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हो । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २५९३/६४]**

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में

RE CALLING ATTENTION NOTICE

Shri Bade (Khargone): We have given notice of a Calling Attention Motion regarding yesterday's fire near Parliament in Delhi.

Mr. Speaker : It is unfair on the part of the hon. Member to stand up and say like this when I have disallowed the said Motion.

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : I have also given notice of a Calling Attention Motion regarding an arms factory which has been unearthed at Lucknow.

अध्यक्ष महोदय : मैं ने आप से अनुरोध किया है कि यदि आप को इस विषय में कुछ कहना है तो आप मुझे आ कर मिले ।

Shri Brij Raj Singh (Bareilly) : You kindly tell us the types of issues, regarding which we should give notices of Calling Attention Motions, so that we may act accordingly and thereby avoid such a situation.

Mr. Speaker : I can neither specify such issues nor argue about the matter. The hon. Member may consult rules in regard thereto if he likes. I am unable to allow all such motions.

सभा पलट पर रखे गये पत्र—जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची, का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे

इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची की वर्ष १९६२–६३ की

वार्षिक प्रतिवदन लेखा परीक्षित लेख और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त कंपनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २५९४/६४।]

(दो) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक २९ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २८८ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २५९५/६४।]

छपाई उद्योग पर भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : मैं अमरीका और जापान में छपाई उद्योग के बारे में भारतीय उत्पादकता दल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २५०९/६४।]

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : मैं, श्री सत्य नारायण सिंह की ओर से, ३० मार्च, १९६४ को आरम्भ होने वाले आगामी सप्ताह के लिये सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं :

आज की विषय-सूची की सरकारी कार्य की कोई मद जिस पर आंशिक रूप से चर्चा हुई हो ।

निम्नलिखित मंत्रालयों अथवा विभागों संबंधी अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान :

सिंचाई तथा विद्युत्,

सम्भरण तथा तकनीकी विभाग,

उद्योग,

स्वास्थ्य

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास,

सामुदायिक विकास तथा सहकार ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : निर्माण, आवास तथा पुनर्वास के प्रतिवेदन में पूर्वी पाकिस्तान के प्रव्रजकों के पुनर्वास संबंधी उल्लेख नहीं किया गया, इसलिये मेरा अनुरोध है कि मंत्रालय द्वारा इस आशय का एक अनुपूरक वक्तव्य तैयार किया जाय ।

[श्री हरि विष्णु कामत]

गत शुक्रवार को मैं ने सभा की बैठकों के समय में परिवर्तन करने की बात कही थी। मैंने सभी पक्षों के सदस्यों से बात की है और वह इस के लिये तैयार हैं. . .

अध्यक्ष महोदय : आप उन के हस्ताक्षर करा के मुझे भेज दे ।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय—जारी

Shri Radheylal Vyas (Ujjain) : I request that the non-official Bills that are coming up today might be taken up the next week, on the non-official day, so that we may be able to discuss the Demands of this Ministry in detail.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : हम इस से सहमत नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि इस बारे में आपत्ति की गयी है इसलिये ऐसा कर सकना सम्भव नहीं है ।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : इस प्रसंग में प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या कहा गया था, मैं बताऊंगा ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा गय था कि कृषि का पुष्ट आधार होगा परन्तु उस योजना के लक्ष्यों को प्राप्त ही नहीं किया जा सका । दूसरी योजना में फिर कहा गया कि कृषि उत्पादन की कमी को पूरा किया जायगा परन्तु तृतीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन से विदित है कि १००० लाख टन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये पहले तीन वर्षों में उत्साहवर्द्धक प्रगति नहीं हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना के शेष ो वर्षों में इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकेगा ?

केन्द्र द्वारा बनाये गये कृषि उत्पादन बोर्ड द्वारा तैयार किये गये विभिन्न कार्यक्रमों को किन किन राज्यों में कार्यान्वित किया गया है, इस बारे में माननीय मंत्री जानकारी दें और यह भी बतायें कि क्या यह कार्यक्रम ग्रामीण स्तर पर भी कार्यान्वित किए जायेंगे ?

आसाम राज्य के बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । वहां पर चार महीने तक काफी वर्षा होती है और शेष ८ महीने पानी का बिल्कुल अभाव रहता है। पिछले १३ अथवा १४ वर्षों में बाढ़ों से जो इतनी हानि होती रही है उस से राज्य की अर्थ व्यवस्था में गतिरोध पैदा हो गया है । हर वर्ष करोड़ों रुपयों की फसल का नाश हो जाता है । यदि यह स्थिति इसी प्रकार बनी रही तो सदैव अन्य राज्यों से इस राज्य को अनाज का सम्भरण किया जाता रहेगा । वहां पर पूर्वी पाकिस्तान से आ रहे अल्पसंख्यकों के कारण स्थिति और भी गम्भीर हो गई है । इसलिये मेरा निवेदन है कि बाढ़ों को रोकने

के लिये प्रभावकारी कदम उठाये जायं और जिन महीनों में वहां पानी उपलब्ध नहीं होता उस समय सिंचाई की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध की जायें । ऐसी कार्यवाही करने पर ही वहां की खाद्य समस्या हल हो सकेगी ।

इस राज्य में सिंचाई की उचित सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं । यमुना मध्याकार सिंचाई परियोजना अब तक कार्यावित नहीं की गई । कोपिली परियोजना पर अभी काम आरम्भ नहीं किया गया । इसलिये इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । मैं चाहता हूं कि मंत्री सभा को आश्वासन दें कि तीसरी योजना के लक्ष्य प्राप्त किये जायेंगे ।

हमारे पास उतनी भूमि नहीं है कि खेती का अधिक विस्तार किया जा सके । आवश्यकता इस बात की है कि प्रति एकड़ उपज बढ़ाई जाये । यद्यपि अच्छे बीजों, खेती के औजारों और उर्वरकों का उपलब्ध किया जाना वांछनीय है परन्तु सब से ज्यादा बल सिंचाई सुविधाओं और प्रति एकड़ उपज को बढ़ाने पर दिया जाना चाहिए ।

मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य- मंत्री (श्री अ० म० थामस) : माननीय सदस्यों का दृष्टिकोण काफी आलोचनात्मक रहा है । कुछ रचनात्मक बातें भी कहीं गईं । परन्तु यह विषय ही ऐसा है कि सिवाय उन कार्यवाहियों के जो सरकार द्वारा पहले ही की गईं हैं और सिवाय उन प्रस्तावों के जो पहले ही सरकार के विचाराधीन हैं, कोई अन्य क्रांतिकारी सुझाव नहीं दिये गये । कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि खाद्यान्न में व्यापार राज्य द्वारा किया जाना चाहिए और अन्य सदस्यों ने कहा कि व्यापार पर किसी प्रकार का नियंत्रण घातक सिद्ध होगा । श्रीमती रेणुका राय ने कहा कि बड़े बड़े नगरों को खाद्यान्न के मामले में अन्य क्षेत्रों से अलग कर दिया जाय परन्तु स्टाक की स्थिति को देखते हुए वैसा कर सकना सम्भव नहीं है ।

वास्तव में अनाज के मूल्य वर्ष १९६२–६३ में अनाज के उत्पादन में कमी के कारण बढ़े । परन्तु कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि वास्तव में कृषि के क्षेत्र में बहुत सी त्रुटियां पाई जाती हैं । मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं । गत वर्ष में मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में उत्पादन ३३ $^1/_2$ प्रतिशत कम हुआ, और पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार तथा अन्य कमी वाले राज्यों में उत्पादन बहुत ही कम रहा । परन्तु इतने कम उत्पादन के बावजूद भी हम स्थिति पर नियंत्रण रखने में सफल रहे । जो कदम सरकार द्वारा उठाये गये उन के अच्छे परिणाम निकले । पश्चिम बंगाल में जो वर्तमान चावल के मूल्य हैं वह गत वर्ष की तुलना में कम हैं । मैं वस्तुस्थिति का चित्रण आप के समक्ष करता हूं ।

वर्तमान स्थिति यह है कि चावल के थोक मूल्यों के अखिल भारतीय सूचनांक अक्तूबर, १९६३ के तीसरे सप्ताह से मध्य मार्च, १९६४ तक ८.५ प्रतिशत तक कम हो गये हैं जब कि गत वर्ष इसी अवधि में केवल ४ प्रतिशत की कमी हुई थी। पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में थोक चावल के मूल्य १८.५० से लेकर ५० रुपये प्रति क्विंटल गिर गये। उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार में ३ रुपये से लेकर १२ रुपये प्रति क्विंटल कमी आई। आसाम में मूल्यों की स्थिति स्थिर रही। पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में गेहूं आदि अनाज की फसल को क्षति पहुंचने के कारण चावल के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई।

[श्री अ० म० थामस]

गेहूं के मूल्य काफी निम्न स्तर पर रहे। अगस्त में सूचनांक ८७.९ था। २२ फरवरी, १९६४ को यह बढ़ कर १२५.१ हो गया और भारी मात्रा में गेहूं बाजार में उपलब्ध करने पर मार्च के मध्य में यह १२१.३ हो गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में मूल्यों में विशेषकर गिरावट हुई।

जिन राज्यों में गेहूं पैदा होता है उनमें, २३ मार्च, १९६४ से गेहूं खंड बनाये जाने के कारण मूल्यों में कमी की प्रवृत्ति और बढ़ेगी। समाचार पत्रों की खबरों से विदित है कि पहले ही मूल्यों में कमी हो रही है। गेहूं पैदा करने वाले राज्यों से भिन्न राज्यों में भी सुधार हो रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में आयात किया हुआ गेहूं उचित मूल्य वाली दूकानों द्वारा बेचा जा रहा है।

जवार, बाजरा तथा अन्य अनाज की वस्तुओं के मूल्य भी बढ़े थे परन्तु गत ४ अथवा ५ सप्ताहों से इनमें कमी हो रही है।

इसलिये वर्तमान स्थिति यह है कि सरकार द्वारा कई प्रकार के कदम उठाने के कारण स्थिति पर नियंत्रण ही नहीं पाया गया वरन् मूल्यों में कमी होनी शुरू हो गई है। हमें अपनी वर्तमान अर्थ-व्यवस्था के प्रसंग में इस बात की ओर ध्यान देना है कि हमारी जन संख्या बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है, और लोग अधिक संख्या में नगरों में बस रहे हैं। इन परिस्थितियों में यदि उत्पादन में कमी हो जाती है तो उसका असर मूल्यों पर पड़ना स्वाभाविक ही है।

वर्ष १९६३ में हमने केवल ३८ लाख टन अनाज का वितरण किया जबकि गत ६½ मास में ही ३० लाख टन का वितरण हुआ। जहां तक गेहूं के उत्पादन का संबंध है यह ११० लाख टन है और बिक्री के योग्य गेहूं ३० से ४० लाख टन होता है परन्तु जिस मात्रा का हम वितरण करते हैं वह बिक्री के योग्य गेहूं से डेढ़ गुना अधिक होता है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है वह चाहती है कि कम से कम गेहूं का आयात किया जाय और देश में उत्पादन बढ़ाया जाय। श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने कहा कि हमारी नीति किसान के हित में नहीं वरन् विदेशियों के हित से बनाई गई है। कृषि उत्पादों एवं कृषि पर आधारित औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात कुल निर्यात का ६० प्रतिशत भाग है इसलिये विदेशियों के हित में हमारी नीति का होना अच्छा ही है। वर्ष १९६२ की तुलना में १९६३ में १०४ करोड़ रुपये के अधिक माल का निर्यात किया जाय और यह निर्यात मुख्यतया कृषि उत्पादों का किया गया। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अनाज का आयात करने पर हमें खुशी नहीं होती।

मुख्य समस्या यह है कि कम मूल्यों को कैसे बनाये रखा जाय और उस काल में, जब कि अनाज की कमी होती है, मूल्यों को बढ़ने से कैसे रोका जाय। ऐसा तभी किया जा सकता है जब कि मूल्यों पर नियंत्रण रखा जाय और व्यापारिक सन्तुलन बनाये रखा जाय। सबसे प्रभावकारी कदम यह है कि बाजार में अधिक मात्रा में अनाज उपलब्ध किया जाय।

हमने एक ऐसा कार्यक्रम बनाया है जिस से अनाज की कमी वाली अवधि में स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। इस बात का ध्यान रखा जायगा कि कितना माल उपलब्ध है और मांग कितनी है और जो कमी होगी उसे अतिरिक्त सम्भरण द्वारा पूरा किया जायगा। नियंत्रण तथा विनियमन का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि मूल्यों को एक निर्धारित स्तर से गिरने न दिया जाय ताकि इसका प्रभाव उत्पादन पर न पड़े, अनाज की कमी वाली अवधि में मूल्यों पर नियंत्रण रखा जाय ताकि व्यापारी माल का स्टाक कर के शोषण न कर सकें, तीसरे व्यापारी को अनुचित लाभ कमाने से रोका जाय। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हमने माल प्राप्त करने के मूल्यों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार व्यापार के विनियमन की दृष्टि से लाईसेंसिंग की शर्तों को अधिक कड़ा बनाया जा रहा है। इन उपायों को कार्य रूप देने के उद्देश्य से व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

यह भी निर्णय लिया गया है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारें १० लाख टन अनाज प्राप्त करें। पी० एल० ४८० करार के अन्तर्गत अधिक अनाज का आयात किया जा रहा है। यह कदम इसलिये उठाये जा रहे हैं ताकि असामान्य स्थिति का मुकाबला करने के लिये बफर स्टाक बनाया जा सके।

मुनाफाखोरी और माल के अनुचित स्टाक की प्रवृत्तियों को रोकने के लिये रक्षित बैंक द्वारा ऋण नहीं दिया जाएगा।

चावल, गेहूं आदि अनाज की वस्तुओं के मूल्यों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

सरकार के उपायों की सफलता जनता एवं समाचारपत्रों पर भी निर्भर करती है। समाचारपत्र मुनाफाखोरों और अनुचित तरीके से व्यापार करने वालों के सिलसिले में उचित वातावरण पैदा कर सकते हैं और जनता ऐसे समाज-विरोधी तत्वों की जानकारी सरकार को दे सकती है

यद्यपि मूल्यों संबंधी स्थिति गम्भीर है फिर भी सरकार समझती है कि इससे निराशा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। सरकार ने जो कदम उठाये हैं वह उन की प्रभाव्यता के बारे में यकीन रखती है।

वर्तमान वर्ष में चावल का उत्पादन काफी अधिक होने की सम्भावना है। वास्तव में, प्राप्त खबरों के अनुसार यह उत्पादन वर्ष १९६१–६२ के उत्पादन से भी अधिक होगा। हमारा अनुमान है कि इस वर्ष ३६० लाख टन चावल का उत्पादन होगा जब कि १९६१-६२ में ३४८ लाख टन ही पैदा हुआ था।

इस देश की मत्स्य सम्पत्ति बहुत अधिक है। भारत का तटीय क्षेत्र ३००० मील का है। यह ठीक है कि इतने संसाधनों के देखते हुए इस क्षेत्र में अधिक प्रगति नहीं हो सकी है। इसका कारण यह है कि एक तो इस ओर पूरा ध्यान नहीं दिया गया और दूसरे इस समस्या के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण का अभाव रहा है। इसकी महत्ता को तीसरी योजना में मान्यता दी गयी। मत्स्यपालन के लिये इस अवधि के लिये २९ करोड़ रुपये का

[श्री अ० म० थामस]

उपबन्ध किया गया है। हमारा उद्देश्य यह है कि मत्स्यपालन आधुनिक ढंग से किया जाय मछली पकड़ने के लिये आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग किया जाय। शिक्षा एवं अनुसन्धान पर भी बल दिया गया है।

तीसरी योजना में ४००० अतिरिक्त यन्त्रीकृत मछली पकड़ने की नावों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इन लक्ष्यों की दृष्टि से वर्तमान नाव निर्माण क्षमता अपर्याप्त है। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण अब तक केवल ६७६ आधुनिक इंजन आयात किये गये हैं और ४०० अन्य इंजनों के लिये आर्डर दिये गये हैं। लगभग १००० और इंजन आगामी कुछ मासों में आयात किये जायेंगे। १००० इंजनों के लिये तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में विदेशी मुद्रा प्राप्त की जायेगी। इस प्रकार ३००० इंजन आयात किये जा सकेंगे।

डिब्बों में बन्द करने की व्यवस्था में भी काफी प्रगति हुई है। इस कारण हम १९६३ वर्ष में ५.५६ करोड़ रुपये की सूखी मछली का निर्यात कर सके हैं।

मछली पकड़ने की बन्दरगाहों के सिलसिले में भी काफी प्रगति हुई है। मद्रास और गुजरात में यह पत्तन बन कर तैयार होने वाले हैं। नागपत्तनम्, पोरबन्दर, विजिन्झामे आदि स्थानों में भी मछली पकड़ने की बन्दरगाहों का निर्माण-कार्य हो रहा है। बेपुर, कोलाचल और रोयापुरम में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। कन्नानोर और कारवार में ऐसी बन्दरगाहों के निर्माण का प्रस्ताव है।

बैरकपुर, बम्बई, कोचीन आदि स्थानों में विभिन्न मत्स्यपालन अनुसन्धान संस्थानों ने अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण की दिशा में काफी सराहनीय कार्य किया है। गैर-सरकारी क्षेत्र में पहले से ही विदेशी सहयोग से मत्स्यपालन का कार्य संतोषजनक हो रहा है। सरकारी क्षेत्र में भी प्रविधिज्ञ जानकारी तथा मत्स्यपालन के संवर्धन के लिए एक मत्स्य-पालन निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है। अन्तर्देशीय मत्स्यपालन की दिशा में कार्य काफी संतोषजनक रहा है।

छोटी सिंचाई योजनाओं की ओर सरकार ने काफी ध्यान दिया है। तीसरी पंच वर्षीय योजना के चौथे वर्ष के अन्त तक इस कार्य में १८० करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इन छोटी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का पुनर्निर्माण, कुओं को अधिक गहरा करना, बिजली से चलने वाले पानी के पम्प तथा नलकूपों के काम को अधिक महत्व दिया गया है। इस प्रकार सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक छोटी योजनाओं के अधीन सिंचाई किये जाने वाले क्षेत्र को मिला कर कुल १२८ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी।

कुछ राज्यों में कृषि प्रयोजनों के लिए बिजली अधिक दर पर दी जा रही है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों पर जोर दे रही है कि कृषि के प्रयोग में आने वाली बिजली की दर ६ नये पैसे प्रति यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके फलस्वरूप राज्य सरकारों पर पड़ने वाले वित्तीय भार का कुछ प्रतिशत केन्द्रीय सरकार वहन करने के

लिए तैयार है । केन्द्रीय सरकार के इस प्रयत्न के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा बिजली की दर घटाने के लिए ठोस कदम उठाये जाने की आशा है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं मंत्री महोदय के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि पश्चिम बंगाल में मूल्यों संबंधी स्थिति संतोषजनक होती जा रही है । फसल के समय भी चावल के मूल्य ३५ रुपये से कम न होना एक असाधारण बात है जब कि फसल के समय मूल्य न्यूनतम होते हैं । इस से अनुमान लगाया जा सकता है कि चावल के मूल्य वर्षा ऋतु में किस सीमा तक बढ़ सकते हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों का यह सोचना गलत है कि खाद्यान्नों के पूर्ण रूप से स्वतंत्र व्यापार से ही मूल्य कम हो सकते हैं । सरकार को किसी सीमा तक खाद्यान्नों के व्यापार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए । सरकार को अधिक संख्या में सस्ते अनाज की दुकानें खोलने के लिए अधिक रक्षित भंडार जमा करना चाहिए । कांग्रेस के भुवनेश्वर में हुए अधिवेशन में स्वीकृत किये गये संकल्प को कार्यरूप देने के लिए सरकार को चावल की मिलों का राष्ट्रीयकरण करके व्यापार अपने हाथ में ले लेना चाहिए । इस से उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को ही लाभ पहुंचेगा । क्योंकि इस में बिचौलिए के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा और उसके जेब में जाने वाली आय उपभोक्ता और उत्पादक आपस में बांट सकेंगे ।

इस समय कृषकों को सरकार द्वारा बहुत कम ऋण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं । कृषकों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महाजन या दूसरे कृषकों से ऋण लेना पड़ता है जिस पर उसे मनमाना ब्याज देना पड़ता है । इससे कृषक की उपज का बहुत बड़ा भाग ब्याज तथा ऋण वापिस करने में महाजन के पास चला जाता है और कृषक निरुत्साह हो जाता है । यदि सरकार अधिक उत्पादन करके रक्षित भंडार बनाना चाहती है तो उसे कृषकों को पौधरोपण के समय पर्याप्त राशि ऋण के रूप में देनी चाहिए जिससे वह इस राशि का प्रयोग कृषि की उपज बढ़ाने में कर सकें । इस ऋण पर उनसे कुछ समय तक किसी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए ।

केन्द्र और राज्य सरकार के बीच दामोदर घाटी निगम के बारे में मतभेद पैदा हो जाने से उसके पानी का सिंचाई के प्रयोजन के लिए उचित प्रयोग नहीं हो पा रहा है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कृषकों पर बिना किसी प्रकार का भार डाले उन्हें सिंचाई और बिजली संबंधी सुविधाएं प्राप्त की जानी चाहिएं ।

पश्चिम बंगाल में गन्ना उत्पादकों की स्थिति अच्छी नहीं है । पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के अहमदपुर स्थान में एक चीनी मिल है जिसको सरकार द्वारा ७५ लाख रुपये का ऋण दिया गया है । किन्तु इस मिल द्वारा गन्ना उत्पादकों को लगभग २ लाख रुपये गन्ने के मूल्य के रूप में देने हैं, और कृषकों को यह कह कर टाल दिया जाता है कि इस वर्ष मिल का कार्य अच्छा नहीं रहा है । इसलिए मिल अभी गन्ने के मूल्य देने में असमर्थ है । सरकार द्वारा कृषकों को अपने गन्ने उत्पादन का दो तिहाई भाग उस मिल को बेचने के लिए कहा गया है किन्तु मिल ने गन्ना लेने से इन्कार कर दिया है । इसके परिणामस्वरूप

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

उस क्षेत्र के सारे गन्ना उत्पादकों के लिए एक संकट पैदा हो गया है । सरकार को गन्ना उत्पादकों की सहायता के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए।

यह खेद की बात है कि सरकार ने गन्ने का प्रयोग खांडसारी बनाने के लिए रोकने के लिए गन्ने का रस निकालने वाली मशीन पर प्रति मशीन १५० रुपये का लाइसेंस शुल्क लगा दिया है जिसे देने में किसान असमर्थ है । सरकार एक ओर तो गन्ने की कृषि का विस्तार करने तथा अच्छे किस्म का गन्ना पैदा करने पर जोर दे रही है और दूसरी ओर गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने के मूल्य नहीं दिये जा रहे हैं तथा गन्ने का प्रयोग चीनी के अतिरिक्त अन्य चीजों के लिए किए जाने पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति निर्धारित करनी चाहिए।

अब तक जो भूमि सम्बन्धी सुधार किए गये हैं उससे उत्पादन में वृद्धि होने तथा बेकारी की समस्या हल होने मे किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है। हम अब भी प्रति वर्ष लाखों टन खाद्यान्न विदेशों से मंगाते हैं जो पिछड़ेपन की निशानी है । यदि सरकार उत्पादन में वृद्धि और बेकारी दूर करना चाहती है तो शीघ्र भूमि सम्बन्धी उचित सुधार किये जाने चाहिएं ।

डा० पं० शा० देशमुख (अमरावती) : आज देश में कृषकों की दशा बहुत खराब है । देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। यदि हम चाहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि हो तो कृषकों को उनके उत्पादों का लाभप्रद मूल्य मिलना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में भी कृषकों के कल्याण के लिए उसी प्रकार की कल्याण संस्थायें स्थापित की जानी चाहिएं जिस प्रकार की संस्थायें औद्योगिक क्षेत्र अथवा नगरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हैं।

यद्यपि मंत्रालय ने कृषि के विकास के लिए अनेक सराहनीय कार्य किए हैं, फिर भी लाखों टन खाद्यान्न विदेशों से मंगाना पड़ता है। किसानों द्वारा एमोनियम, कम्पोस्ट आदि खादों के बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करने के बावजूद भी खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाई है । इसका मुख्य कारण कृषकों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया जाना है । सरकार को यथाशीघ्र उत्पादकों को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

यह खेद की बात है कि सरकार का प्रशासनिक व्यय तो बढ़ता जा रहा है किन्तु वित्तीय भार अधिक हो जाने का बहाना बना कर कृषि प्रयोजनों के लिए दी जाने वाली बिजली की दर कम नहीं की जा रही है, कृषकों को खेती के प्रयोजनों के लिए दी जाने वाली बिजली की दर ६ पाई प्रति यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसके परिणाम-स्वरूप पड़ने वाले वित्तीय भार को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही वहन करना चाहिए ।

पिछले अनुभव से यह बात स्पष्ट हो गई है कि खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार सफल नहीं हो सकता है। राजकीय व्यापार खाद्यान्नों के आयात और स्टाक के वितरण तक ही सीमित रखा जाना चाहिए—क्योंकि यह कार्य ग़ैर सरकारी क्षेत्र द्वारा नहीं हो सकता है ।

यदि हमें उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करनी है तो हमे सहकारिता का सहारा लेना होगा।

कृषकों को कृषि प्रयोजनों के लिए पर्याप्त ऋण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार को इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि यदि कृषक प्राकृतिक कारणों अथवा कुछ विपत्ति आ जाने पर ऋण वापिस करने मे असमर्थ हों तो यह ऋण माफ कर दिया जाये।

हमारी चीनी सम्बन्धी नीति में अनेक कमियां हैं। जब गन्ने का उत्पादन कुछ अधिक मात्रा में होता है तो सरकार उत्पादन में १० प्रतिशत कमी करने का आदेश दे देती है। चीनी की निर्यात सम्बन्धी नीति के कारण चीनी चोरबाजार में २ रुपये ५० नये पैसे सेर तक बिक रही है। यह सराहनीय बात नहीं है। सरकार सदैव मिलों के हितों की रक्षा करती है। चीनी के मामले मे राशनिंग करना सिद्धांत रूप में गलत है। मैं क्षेत्रीय प्रणाली अपनाने के भी विरुद्ध हूं क्योंकि इससे कृषक उचित लाभ नहीं कमा पाते हैं। सरकार को कृषि सम्बन्धी कोई व्यापक नीति अपनानी चाहिए, सरकार नगरों में रहने वाले कर्मचारियों को कुछ सहायता दे कर लाभ पहुंचा सकती है, किन्तु कृषकों के लिए उनके उत्पादों के तदर्थ मूल्य निर्धारित करके उन्हें लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता है क्योंकि कृषकों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें लाभप्रद मूल्य मिलने चाहिएं।

मंत्रालय द्वारा सिंचाई की छोटी योजनाओं के क्षेत्र में तथा खाद्यों के सम्बन्ध में सराहनीय कार्य करने के बावजूद भी खाद्यान्नों का उत्पादन ८१० लाख टन से अधिक नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण कृषकों को प्राप्त सुविधाओं का अभाव है। उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक क्षेत्र में कृषि करना ही पर्याप्त नहीं है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे ढंग से खेती करना भी काफी आवश्यक है। इसके लिए कृषकों को राज्य की ओर से पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए। विश्व का कोई देश ऐसा नहीं जहां कृषकों को सरकार की ओर से सहायता न दी जाती हो। हमारी कृषि सम्बन्धी नीति व्यापक होनी चाहिए। कृषकों के ९वें और १९वें सम्मेलन मे की गई सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। यदि हम अपनी आशानुकूल उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो कृषक को पर्याप्त अर्थ सहायता दी जाये तथा उसके लिए सस्ते बीज, उर्वरक, सस्ती बिजली और सस्ते दर पर सिंचाई की व्यवस्था की जाये।

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनूल): उपाध्यक्ष महोदय, इस सभा में प्रायः खाद्यान्नों के मूल्यों की वृद्धि के बारे में चर्चा की जाती है। इस सम्बन्ध में अधिक महत्व कृषि को देना चाहिए न कि खाद्यान्नों को क्योंकि जब तक कृषि उत्पादन हमारी आवश्यकता के अनुसार नहीं होगा तब तक मूल्यों को बढ़ने से रोकने की बात करना निरर्थक है। सर्वप्रथम बात यह है कि सरकार को अपनी नीति फिर बनानी चाहिए और यह नीति कृषि और उत्पादन पर आधारित होनी चाहिए। हम मूल्यों की समस्या का हल उत्पादन बढ़ाकर ही कर सकते हैं। पी० एल० ४८० करार जैसी योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात कर के समस्या का हल करने के स्थान पर हम समस्या को और अधिक गम्भीर रूप दे रहे हैं।

कृषि को अधिक महत्व न दिये जाने के कारण यह योजना प्रशासन, तकनीकी तथा अन्य बातों में पिछड़ गई है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ से ही इस सम्बन्ध में रुचि न लेने के कारण आज इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

[श्रीमती यशोदा रेड्डी]

सरकार खाद्यान्नों के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषकों को अधिक उत्पादन करने के लिए कहती है, किन्तु कृषकों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। हमें कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए समुचित कार्यक्रम बनाना चाहिए। कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि कालेज खोले जाने चाहियें ताकि उन में प्रशिक्षण पाने वाले छात्र बाद में अच्छे कृषक बन सकें। कृषकों से अधिक उत्पादन करने के लिए कहा जाता है परन्तु उनको पर्याप्त सुविधायें नहीं दी जाती हैं। बहुत से विभाग कृषि कार्यक्रमों से सम्बन्धित हैं परन्तु उन में आपस में सहयोजन नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हम कृषि क्षेत्र मे प्रगति नहीं कर सके हैं। कृषि के बारे में समन्वित आयोजन का होना बहुत जरूरी है। यदि किसी कार्यक्रम को समय पर पूरा न किया जाये तो उसकी जांच की जानी चाहिये और दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाना चाहिए।

भारत एक कृषिप्रधान देश है और हमारी समूची अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। समझ में नहीं आता कि फिर भी सरकार कृषि की उपेक्षा क्यों करती रही है। हम उद्योग पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि कृषि का उद्योग से निकट सम्बन्ध है। उद्योग कच्चे माल के लिये कृषि पर ही निर्भर करते हैं। अतः प्रथम प्राथमिकता उद्योग की बजाय कृषि को दी जानी चाहिये।

उर्वरकों का देश में बड़ा अभाव है। सरकार को उर्वरकों का उत्पादन करने के लिये गैर-सरकारी उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिये। यदि वह ऐसा नहीं करना चाहती तो उसे स्वयं उर्वरक कारखाने स्थापित करने चाहियें।

यदि हम वैज्ञानिक तरीकों से कृषि में सुधार करने के लिये निश्चित प्रयत्न करें और अपनी जमीन का पूरा लाभ उठायें, तो हम आसानी से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। परन्तु हमारा लक्ष्य केवल आत्मनिर्भर होना ही नहीं होना चाहिये अपितु हमें तम्बाकू तथा कपास जैसी वस्तुओं की खेती पर अधिक ध्यान देना चाहिये ताकि हम विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकें।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा कृषि मंत्रालयों में बीच पर्याप्त समन्वय न होने के कारण तम्बाकू के व्यापार में मन्दी है और तम्बाकू उत्पादकों की हालत खराब है। अतः तम्बाकू उत्पादकों को यह जानकारी दी जानी चाहिये कि किस खास किस्म के तम्बाकू की विदेशों में अधिक मांग है ताकि वे उसी किस्म के तम्बाकू का उत्पादन करें क्योंकि ऐसा तम्बाकू पैदा करने से कोई लाभ नहीं है जिसकी मण्डियों मे मांग न हो।

Shri C. L. Chaudhry (Mahua) : I never got a chance to express my views on matters discussed in the House. My submission is that I may also be afforded an opportunity to make a speech.

Shri Brij Raj Singh (Bareilly) : The Minister of International Trade has admitted that with an increase of five per cent in agricultural production we can earn Rs. 100 crores by way of foreign exchange. It is, therefore, all the more shameful that when agriculture has got so much potential, Government hestitate to spend even Rs. 1 crore on the promotion of agriculture.

Agriculture produces the basic materials and industry only transforms them into finished products. The industry depends for its sustenance on agriculture. The prime need today is that we should revolutionise agriculture. Unless that is done the talk of industrial revolution and industrialisation is meaningless. The examples of Russia and China are before us. They look to other countries for their requirements of foodgrains. Therefore more emphasis should be laid on agricultural revolution.

To make more land available for cultivation, Government have cleared many forests which has resulted in the depletion of our forest wealth. On the other hand lakhs of rupees are being spent on "vanamahotsava" ceremonies, which have not yielded any result. This is simply a waste of money. Afforestation cannot be promoted in this haphazard manner.

Government do not have a clear-cut policy in regard to agriculture. Their policy is not farmer-oriented or foreign-oriented as has been stated by Government spokesman in the House. In my opinion, it is election-oriented. The Congress leaders do not have the promotion of agriculture as their objective but their sole concern is somehow or other to win at the elections.

So far as irrigation is concerned, more emphasis should be laid on the utility aspect of the irrigation facilities than their expansion. We have built many dams and opened up a network of canals in the country. But the farmers have not benefited much from them. The canals remain almost dry except in the rainy season. For implementing big projects we have to spend huge amounts by way of foreign exchange and technical know-how and the farmer gets only 60 per cent benefit from them. We should on the other hand take in hand small irrigation projects at the farmers' level and on completion hand them over to the farmers so that they can derive the maximum benefit out of them.

The Government thinks of price control only at a time when the harvest season is nearing to deprive the farmers of their legitimate right. There was no necessity of creating nine zones. Only two zones would have been sufficient—one of agriculturists and the other of non-agriculturists. And the prices should be allowed to rise till they become remunerative to the cultivator. Unless that is done the lot of the cultivators cannot be improved.

The Central Government should see that farmers do not suffer at the hands of the State Governments. The agricultural cess should be reduced.

श्री व० गो० नायडू (तिरुवल्लूर) : सघन खेती के लिये यंत्रों का प्रयोग बहुत जरूरी है । चूंकि भारत में जो ट्रेक्टर बनाये जाते हैं वे महंगे हैं अतः हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने के लिये कुछ ट्रेक्टरों के आयात की अनुमति दी जानी चाहिये ।

किसानों को बढ़िया बीज नहीं दिये जाते हैं । सरकार को बढ़िया बीजों का उत्पादन करने और उन्हें किसानों को देने के सम्बन्ध में सक्रिय कदम उठाने चाहियें । खाद कृषि के लिये बहुत जरूरी है । हम उन्हें बाहर से भी मंगा रहे हैं और देश में भी उनका उत्पादन कर रहे हैं । परन्तु खाद का प्रयोग करने से पहले भूमि का परीक्षण किया जाना चाहिये और जो खाद उसके लिये उचित हो, उसी खाद का उस भूमि में प्रयोग किया जाना चाहिये । इससे हमें रासायनिक खाद के प्रयोग में सहायता मिलेगी । रासायनिक खाद के साथ साथ

[श्री व० गो० नायडू]

प्राकृतिक खाद के उत्पादन को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। रासायनिक खाद के वितरण के लिये जिला तथा तालुक समितियां बनाई जानी चाहिये। ये समितियां प्रत्येक गांव तथा तालुक की जरूरतों का पता लगायेंगी और उसके आधार पर खाद का वितरण करेंगी।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है धन के अपव्यय को रोका जाना चाहिये और सिंचाई के लिये जो धन निर्धारित किया जाये वह ठीक प्रकार से खर्च किया जाना चाहिये। वहां पर सिंचाई के लिये कुंओं का निर्माण करना लाभदायक हो वहां पर कुंओं का शीघ्र निर्माण किया जाना चाहिए।

खाद्यान्नों की कीमत उत्पादन-लागत के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिये।

श्री ज० रा० मेहता (पाली): यदि हमें कृषि कार्यक्रमों तथा खाद्यान्नों के उत्पादन में सफलता प्राप्त करनी है तो जिला स्तर के अधिकारी को पूरे अधिकार दिये जाने चाहियें। कलेक्टर को बजट में स्वीकृत राशि को खर्च करने का अधिकार होना चाहिये। कलेक्टर को कृषि से संबंधित व्यक्तियों को हिदायतें देने का अधिकार होना चाहिये ताकि लक्ष्य पूरे किये जा सकें।

राजस्थान में समन्वय समितियों में लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं किया गया है। जबकि हम पंचायती राज तथा समाजवादी समाज की बात करते हैं तब ऐसी बात शोभा नहीं देती।

गेहूं खण्डों के बनाये जाने से समस्या हल नहीं हो सकती। इससे गेहूं के स्टाक तथा कीमतों में असन्तुलन आ जाता है जिससे तस्कर व्यापार को बढ़ावा मिलता है। अधिक उत्पादन करने वाले राज्यों के उत्पादकों और कमी वाले राज्यों के उपभोक्ताओं को इससे हानि होती है। मौसम की खराबी के कारण खाद्यान्नों के संभरण तथा मूल्यों में उतार चढ़ाव होता रहता है और व्यापारी लोग इसका अनुचित लाभ उठाने के लिये सदैव सतर्क रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब तक सरकार मूल्यों को विनियमित नहीं कर पाती और खाद्यान्नों का काफी स्टाक नहीं बना लेती तब तक व्यापार को मुक्त रहने दिया जाये, लेकिन इन शर्तों पर कि महत्वपूर्ण शहरों को पृथक् कर दिया जाये और सरकार को इन असंतुलनों का सामना करने के लिये अपनी खरीद को विनियमित करना चाहिये। कीमतों पर नियंत्रण रखने तथा उन्हें विनियमित करने के लिये केन्द्र में एक स्वतंत्र निकाय होना चाहिये।

राजस्थान को अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम चीनी दी गई है। उत्तर प्रदेश से गुड़ के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध से जो गुड़ वहां से राजस्थान में आता था वह अब आना बन्द हो गया है और सड़क के मार्ग से जो चीनी आती थी, उसको भी राजस्थान के लिये कोटा निर्धारित करते समय ध्यान में नहीं रखा गया है। अत: मेरा निवेदन है कि राजस्थान के चीनी के कोटे के बारे में पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

राजस्थान इस समय अपूर्व दुर्भिक्ष की स्थिति में है। मुझे प्रसन्नता है कि केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान की तत्काल सहायता की है। हम अमरीका की सरकार के भी आभारी हैं कि उन्होंने राजस्थान के अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों को अन्न तथा चारा पहुंचाया।

उन्होंने राजस्थान में २५० नलकूप लगाने का वचन दिया है किन्तु वह ।ये मशीनें चले जाने से यह वचन कैसे पूरा होगा ?

राजस्थान में बार बार दुर्भिक्ष पड़ता है और अनेक मनुष्यों और पशुओं को जान की हानि होती है और उन क्षेत्रों की आर्थिक हानि भी होती है। सरकार को ये दुर्भिक्ष दूर करने के लिए बृहत् योजना बनानी चाहिये।

कृषि कार्यक्रम के लिए अनेक कार्य करने होते है। मैं दो कामों की ओर संकेत करना चाहता हूं। एक तो कृषकों को आवश्यक उर्वरक मिलने चाहिये और दूसरे प्रत्येक जिले में कृषि औजारों की मरम्मत के लिए मरम्मतशालाएं बनाई जानी चाहियें। कह नहीं सकते कब खाद्यान्न का आयात असंभव हो जाय और जब सीमा पर हमारे दो शत्रु खड़े हैं तो क्या हमारी सेनाएं भूखे पेट लड़ सकेंगी। अतः खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिये।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का काम बहुत कठिन है। उसे गांव-गांव और प्रत्येक झोंपड़ी में नई भावना का संचार करना है। आशा है वे इसमें सफल होंगे।

Shri Yashpal Singh : I hoped that the Government would find some remunerative price. The peasant was compelled to sell wheat at rupees fourteen per maund but to-day he is purchasing it at rupees thirty per maund. The welfare of the peasant can be promoted in only one way and that way is of fixing the price at such rate that it does not increase by more than rupee one per maund.

Consolidation of holdings is being done against the will of the peasants who are not being benefited by it. The Government is bringing 17th amendment to the Constitution which would empower them to acquire the lands of the poor peasants. In contrast to that the Government has not been able to recover the land which is under the occupation of the enemy.

Such confidence should be instilled in the minds of the peasants that their land will not be taken away from them. While the Congress, P.S.P., Socialists and Communists all believe in socialism and even then they have not been able to form a coalition Ministry how is it possible that the illiterate peasants would be able to function their cooperative societies.

If a peasant of Gaziabad comes to sell his *gur* in Delhi and thus deprive the profiteers from their profit, how it interferes with the war efforts.

The Government says that there is shortage of sugar. But the mill owners have not made the payments of 16 crores of rupees due to the peasants. Such things are detrimental to the cause of agriculture.

Lakhs of acres of land in India is submerged by floods but still water levy is charged on this land. It is unjustified.

[Shri Yashpal Singh]

If you wish that the peasant should progress you would have to allot 2000 million rupees for the supply of tractors and bullocks and for sinking tube wells. The Government has failed in both the spheres *i.e.* in family planning as well as in increasing the production. The problem of population can be resolved by fighting for the sacred cause of recovering our land from the enemy. But here emergency powers are applied on a small peasant and not on the persons who are making huge profits by forming Co-operatives.

The electricity charges from the big industrialists are recovered at the rate of 3 n.P. per unit whereas the peasants are charged at the rate of 16 n.P. and 19 n.P. The Government should check this disparity and give a chance to the peasants to progress.

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मुझे प्रसन्नता है कि अधिकांश सदस्यों ने उत्पादन कार्यक्रम पर बल दिया है । कृषि उत्पादन में पहली योजना में २.८ प्रतिशत और दूसरी योजना में ३.८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । तीसरी योजना में ३० प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य है । पटसन और मेस्ता का उत्पादन ८० लाख गठर तक पहुंच गया है ।

हमारी कृषि नीति यह है कि हम केवल कच्चा माल निर्यात नहीं करना चाहते । कपास के ८ लाख गठर और पटसन के ५७ लाख गटर मिलों में इस्तेमाल किये जाते हैं । इस के साथ ही हम अपनी जनसंख्या के लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहते हैं। देश की १८, १९ प्रतिशत भूमि में सिचाई होती है इसे बढ़ाकर २५.६ प्रतिशत करने का लक्ष्य है ।

हम किसान की सहायता करना चाहते हैं और लागत के आधार पर मूल्य निर्धारित करना चाहते हैं । प्राय: सभी राज्यों में कृषिश्रमिक की न्यूनतम मजूरी निर्धारित की गई है । हाल ही कृषि विभाग/के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है और वह सदस्यों के अभिमतों को दृष्टिगत रखेगी ।

कपास की उपज अधिकांशत: खुश्क इलाके में होती है पंजाब, गंगानगर, गुजरात और महाराष्ट्र में जहां सिचाई की सुविधाएं हैं अन्युत्तम कपास पैदा होती है। इसी प्रकार पटसन की उपज के लिए पश्चिम बगाल में ही उपयुक्त सुविधाएं हैं । उड़ीसा और बिहार में नहीं ।

श्री बृजराज सिंह ने वनों का उल्लेख किया था । तीसरी योजना में ७,०२,००० एकड़ नयी भूमि में बागान लगाये जाने हैं । दण्डकारण्य में भी तेजी से पैदा होने वाले वृक्ष १,३७,००० एकड़ भूमि में लगाये जायेंगे ।

आज हमारे किसान ५,५०,००० गावों में रहते हैं। उन्हें विस्तृत सुविधायें देते हैं तभी कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि उनकी सुविधाओं में वृद्धि नहीं हो रही ।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि कृषि अनुसन्धान में बहुत अधिक खर्च किया जाता है। यह तो हमें करना होगा क्योंकि जब तक हम चप्पा चप्पा भूमि और हर प्रकार के पौधे की जांच नहीं करते तब तक उपयुक्त कृषि उत्पादन नहीं हो सकता।

अधिकाधिक लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए कृषि कालेज और विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में हम अखिल भारतीय कृषि सेवा की स्थापना कर रहे हैं उसके बिना हमारे कृषि कर्मचारी अन्य पदालियों का सा सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते ।

Shri K. N. Tiwary: What about the rural Universities?

Dr. Ram Subhag Singh: Rural Universities have been set up in Ludhiana, Pant Nagar, Udaipur and Bhuvaneshwar. हम उनकी संख्या को बढ़ा रहे हैं।

श्री जे० आर० मेहता ने राजस्थान का उल्लेख किया था । वास्तव में मौसम का बहुत महत्व होता है । हम तो यही कह सकते हैं कि २० प्रतिशत भूमि के लिये सिचाई की व्यवस्था कर दें । कच्छ में ५० नल कूप खोदे जा रहे हैं। राजस्थान के सभी जिलों में हम ने सहायता केन्द्र स्थापित किये हैं और राज्य सरकार के सुझाव के अनुसार कुछ स्थानों पर २५० नये नल कूप लगाए जाने हैं ।

तराई के क्षेत्र में भी ४, ५ जिलों में चारे की व्यवस्था की गई है । ट्रैक्टर निर्माण के लिए कुछ लाइसेंस दिये गये हैं और हम कुछ ट्रैक्टर आयात भी करेंगे ।

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुए
SHRI KHADILKAR *in the Chair*]

हमें अलग अलग जलवायु के लिए अलग अलग प्रकार के ट्रैक्टरों की जरूरत है ।

आंध्र प्रदेश में तम्बाकू की फसल के बारे में राज्य विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया है कि केन्द्रीय गोदाम की व्यवस्था वहां भी की जाए। हम ने उसका आश्वासन दे दिया है। श्रीमती यशोदा रेड्डी का यह कथन गलत है कि वहां आयोजना का अभाव होने के कारण वहां कठिनाइयां हैं । वस्तुतः आंध्र प्रदेश के तम्बाकू के उत्पादन में वृद्धि हुई है ।

पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में गत वर्ष एक सम्मेलन हुआ था हम उसकी सिफारिशों के अनुसार काम कर रहे हैं। हम पहाड़ी विकास और मरु भूमि विकास के बारे में भी विचार कर रहे हैं । पहाड़ी क्षेत्र से सर्वोत्तम फल आते हैं अतः उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां के लिए विशेष तकनीकी सेवा के सम्बन्ध में भी विचार किया जा रहा है ताकि कृषि कर्मचारियों और कृषि अनुसंधानकर्ताओं को सुविधायें मिल सकें ।

यह बात भी उठाई गई थी कि जब कोई रेल दुर्घटना होती है तो उसकी जांच की जाती है अतः कृषि की असफलता की भी जांच होनी चाहिये । किन्तु उद्योगों में श्रमिकों को जितनी प्रकार की सुविधायें मिलती है वे भी तो हमें कृषि श्रमिकों को देनी चाहियें । मैं तो कृषकों की अभ्यर्थना करता हूं कि उन्होंने उत्पादन को कम नहीं होने दिया और ७, ८ करोड़ टन का स्तर बनाये रखा है यद्यपि उन्हें कम सुविधायें दी जाती हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : सुविधाएं तो आपको ही देनी हैं। आप औद्योगिक कर्मचारियों के बराबर सुविधाएं उन्हें नहीं दे रहे ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं अपने कर्तव्य को अनुभव करता हूं । हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं । कृषि विश्वविद्यालयों कीस्थापना, ऋण सुविधा का विस्तार और इस क्षेत्र की बुराइयों को दूर करना इस दिशा की ओर कदम हैं । उसके बाद आप देखेंगे कि देश में कितना उत्पादन होता है ।

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : क्योंकि बहुत से सदस्य इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहते हैं अतः इस चर्चा का समय बढ़ा देना चाहिये ।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : हम सब सहमत हैं ।

सभापति महोदय : मैं इसकी सूचना उपयुक्त प्राधिकारी को पहुंचा दूंगा । औपचारिक प्रस्ताव के लिए पूर्व सूचना चाहिए । आज माननीय मंत्री उत्तर नहीं दे रहे अतः इस मांग पर आग्रह करने के लिए आपको पर्याप्त अवसर मिल जायेगा ।

Shrimati Sahodra Bai Rai (Damoh) : I support the demands for grants of the Ministry.

Due to failure of rains the agricultural production in Sagar, Damoh, Vindhya Pradesh has been adversely affected. The revenue charges should be condoned to the peasants.

Minimum price of wheat should be fixed by the Government, because the farmers have to sell their produce at lower rates and they are exploited by the businessmen.

The problem of food is very serious. If attention is not paid to the villagers, very dangerous situation might be created. There is much discontentment among the peasants. When the Minister goes to the rural area he should visit the villages to know about the difficulties of the farmers rather than staying in the rest house. Land is allotted to the landless agriculturists but whosoever greases the palm of the Patwari gets it leased in his own name.

Then there is corruption in distribution of Taccavi and the poor peasants cannot get their share. They are being exploited.

In Sagar and Damoh, there is no canal. Birla dam would not help this area. So canals should be constructed in the area.

The ministers have provided the best of facilities in their own Constituencies. But no attention is paid to the constituencies of the members who are simpleton and who speak Hindi.

You may kindly pay more attention to the villages and provide them facilities for agriculture and small scale industries. They can operate the industries during six months in a year when they are jobless.

Distribution of fertilizers also should be proper so that small peasants also get it.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Taccavi and the seeds should be distributed among them in the villages rather than in District headquarters and these should be given before October.

Corruption must be checked and the peasants should get proper price for their products. They have to undergo much difficulties at the hands of Patwaries and Tehsildars.

There are ladies who cultivate lands and they have to face many troubles in getting the Taccavi and other facilities. The conduct of the officers should be under strict vigilance. There are officers who get rupees 125 as salary but their expenditure amounts to rupees 10000. The price of tractor, these days is rupees 2000. Such tractors should be supplied to each village.

Our area may kindly be electrified—that would promote production. The socieies like Bharat Sewak Samaj should be abolished because they concentrate in the cities. Nothing is being done in the villages. For the protection of villagers from dacoits they should be provided with rifles.

श्री बालकृष्णन् (कोइलपट्टी) : श्रीमान् मैं केवल इसी बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमें कृषि के सम्बन्ध में पुराने उपकरणों का प्रयोग त्याग कर, नये, वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग आरम्भ करना चाहिये ।

खाद्य का उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में हम विस्तीर्ण कृषि पर निर्भर नहीं कर सकते, क्योंकि यदि सारी बंजर भूमि को भी खेती योग्य बना दिया गया तब भी यह समस्या नहीं सुलझेगी । अतः हमें सघन कृषि का ढंग अपनाना पड़ेगा । हमारे देश में छोटी जोतों की संख्या अधिक है, अतः छोटे ट्रैक्टर आदि का प्रयोग अधिक लाभदायक होगा ।

किसानों से कहा जाता है कि वे खेती का नया तरीका अपनायें, किन्तु उन्हें नये उपकरण और उर्वरक आदि उपलब्ध नहीं कराये जाते । इस बात पर ध्यान दिया जाये कि देश में यथा-संभव शीघ्र खेती के आधुनिक उपकरण, ट्रेक्टर आदि काफी संख्या में बनाये जाने लगें ।

जहां खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारित किया जा रहा है वहां किसान की आवश्यकता की चीजों के दाम भी निर्धारित किये जायें ।

सरकार के चावल की मिलों को अपने हाथ में लेने के निश्चय का मैं स्वागत करता हूं । किन्तु यह काम शनैः शनैः किया जाये । पहले कुछ चुने हुए क्षेत्रों का चावल मिलों को अपने हाथ लेकर प्रयोग किया जाये । इसके बाद सरकार सारी मिलों को अपने नियंत्रण में ले सकती है ।

Shri Bishwanath Roy (Deoria) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, the food situation in the countryis not so critical as has been depicted by the opposition but at the same time it is not as satisfactory as shown in the Government reports. However, the responsibility for this state of affairs does not lie solely on the Government. The opposition is also responsible for it who exaggerate this situation and thus provide an opportunity to the middleman for profiteering.

The present shortfall in the production of foodgrains can be attributed to the adverse climatic conditions on which Government does not have any control. Drought and frost has caused considerable damage to the crops.

I would like to put forth some suggestions for increasing the production of foodgrains. First thing is that the economic condition of the farmer should be kept in view while training the agricultural policy. Inspite of the fact that ours in an agriculture country and that 80% of our population is engaged in

[Shri Bishwanath Roy]

this occupation more attention is being paid towards industry. This tendency needs a revision as our plans so far have been industry-oriented. My submission is that at least Fourth Plan should be so devised that more and more of our national income is utilised for the development of agriculture. The rates of electricity supplied to the farmer are higher than those charged for the industrialist. This discrimination should be removed.

Steps should be taken to expedite the work of consolidation of holdings. It would go a long way in removing the difficulties of farmers and thereby giving a fillip to the agricultural production.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

ग्रड़तीसवां प्रतिवेदन

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : Mr. Deputy-Speaker, I beg to move that this House agrees with the thirty-eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolution presented to the House on the 25th March, 1964 :—

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के ग्रड़तीसवें प्रतिवेदन से, जो २५ मार्च, १९६४ को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

अनुच्छेद २१७ का संशोधन

श्री अब्दुल गनी गोनी (नामनिर्देशित—जम्मू तथा काश्मीर): श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री अब्दुल गनी गोनी : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

मजूरी का भुगतान (संशोधन) विधेयक

PAYMENT OF WAGES (AMENDMENT) BILL

(धारा १ और १५ आदि का संशोधन)

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मजूरी का भुगतान अधिनियम, १९३६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मजूरी का भुगतान अधिनियम, १९३६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद ८४ और १७३ का संशोधन)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्रीमान्, इस विधेयक में लोक सभा और विधान सभाओं के सदस्यों के लिये आयु की अधिकतम सीमा और शिक्षा की न्यूनतम सीमा निर्धारित करने का उपबन्ध है । इस विधेयक का अभिप्राय हमारे गणराज्य में "जिरोंटोक्रेसी" को रोकना है, जिसका अर्थ है "वृद्धों की सरकार" । वृद्धावस्था की परिभाषा करना कुछ कठिन है । इसकी कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं है । प्रधान मंत्री ७४ वर्ष की आयु में भी इतने सक्रिय और शक्तिशाली हैं । डा० अणे ८४ वर्ष के होने पर भी सभा के वाद-विवाद में सक्रिय भाग लेते हैं, हर शब्द को ध्यान से सुनते हैं और अपने विचार प्रस्तुत करते हैं । किन्तु कानून केवल कुछ अपवादों को लेकर नहीं बनाया जाता, वह सामान्य व्यक्तियों के लिये होता है ।

पिट येगर २४ वर्ष की आयु में प्रधान मंत्री बन गया था, यदि वहां न्यूनतम सीमा २५ वर्ष होती तो उसे यह अवसर नहीं मिल पाता ।

[श्री हरि विष्णु कामत]

अब मैं वृद्ध शब्द की परिभाषा पर आता हूं । संसद् भवन के गुम्बद पर लिखा हुआ है ।

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा
वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्
धर्मस्थ: नो यत्र न सत्यमस्ति
सत्यम् न यत् तत् छलमम्युपेति ।।

अर्थात् वृद्ध वे हैं जो धर्म की बात करें।

महाभारत के शान्ति पर्व में एक प्रसंग है कि एक बार सरस्वती नदी के किनारे रहने वाले मुनि वहां अकाल पड़ने से भाग कर अन्य स्थानों पर चले गये, किन्तु एक ९२ वर्ष का मुनि वहीं रहा और मछली पर निर्वाह करता हुआ १२ वर्ष तक रहता रहा । जब १२ वर्ष बाद मुनि लौट कर आये और उस पर रौब जमाने लगे तब उसने कहा :

न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितंशिर:
यो वै युवव्यधीयानस्तं देवा स्वविरं विदु: ।

अर्थात् तुम लोग कामर हो जो यहां से भाग गये । तुम मुझे शिक्षा नहीं दे सकते। मैं ही तुम्हारा गुरु हूं ।

इसलिये मैं एक नियम निर्धारित करना चाहता हूं । हिन्दू शास्त्रों में ४ आश्रम हैं। ७५ वर्ष की आयु तक मनुष्य वानप्रस्थ रहता है ; उसकी बुद्धि काम कर सकती है। उसके बाद उसे सन्यासी बनना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि ७५ वर्ष की आयु को उच्चतम सीमा माना जाये। सन्यासी को जब भी कभी परामर्श देने के लिए कहा जाय तो वह परामर्श दे। यह मेरे विधेयक के प्रथम भाग के साथ सम्बन्धित है। लोक सभा तथा विधान सभा के लिए आयु की अधिक से अधिक सीमा ७५ वर्ष तक होनी चाहिए ।

अब उस विधेयक का वह हिस्सा आता है जो कि विवादास्पद है। यह संसद् सदस्यों तथा विधान मण्डलों के सदस्यों की शिक्षा सम्बन्धी योग्यता के बारे में है। संविधान सभा में भी यह बात आई थी। अस्थायी संसद् में भी मामला उठा था। स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद जी ने भी, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अपने अन्तिम भाषण में इस बारे में अपने विचार व्यक्त किये थे। यह मेरे विधेयक का वास्तविक विषय है। डा० अम्बेदकर तथा श्री के० टी० शाह ने भी इस पर विचार व्यक्त किये थे। परन्तु इस समय यह बात नहीं हो सकी थी। अब तो १९५० १४ वर्ष पुराना हो गया। शिक्षा की दिशा में हमने काफी प्रगति की है। आने वाले ५ और ७ वर्षों में अशिक्षा और अधिक दूर हो जायेगी। अब तो संविधान में व्यवस्था हो गयी कि देश में पैदा हुए प्रत्येक १४ वर्ष के व्यक्ति को राज्य मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा।

इस निदेश को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाए ।

हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि जैसे विधि का प्रशासन करने वाले लोगों और विधि का निर्वाचन करने वाले लोगों के लिये शिक्षा अर्हता आवश्यक होती है, विधि निर्माताओं के लिये ही शिक्षा अर्हता होनी चाहिये। उस समय जब संविधान बनाया जा रहा था, विधि तोड़ने वाले को विधि बनाने के योग्य माना जा सकता था, परन्तु अब वैसी स्थिति नहीं है।

एक संशोधन द्वारा 'चौदहवें' के स्थान पर 'पन्द्रहवां' और '१९६३' के स्थान पर '१९६४' करने का इरादा है। एक संशोधन द्वारा, जब तक अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के लिये संसद और विधान मण्डलों में पद रक्षित हैं, तब तक शिक्षा की शर्त से मुक्त करने का उपबन्ध है, क्योंकि परतन्त्रता में उनके प्रति बहुत बुरा व्यवहार किया गया है और उनको जान बूझ कर पीछे रखा गया था। मैं उस समय की प्रतीक्षा करूंगा जब वे सब दृष्टियों से सवर्ण हिन्दुओं के समान हो जायेंगे।

विदेशों में मंत्रियों की आयु सम्बन्धी आंकड़ों से पता चलता है कि अमरीका में औसत आयु ५४ है, इंगलैंड में ६० है, और कहीं भी ६८ से अधिक नहीं। अन्य देशों में औसत आयु प्रधान मंत्री की ६९, ६६ और ६० है। सारांश में ६० वर्ष से अधिक औसत आयु नहीं है।

अमरीका और इंगलैंड के लोग पढ़े लिखे हैं। बोलिविया और लंका, चाइल, आदि में लिख पढ़ सकने की योग्यता संसद सदस्यों के लिये निर्धारित है। परन्तु हमारे संविधान में शिक्षा की कोई शर्त नहीं है। इसलिये हमें विधि बनाने वालों के लिये शिक्षा की शर्त लगानी चाहिये। संसद इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे—जो कि वास्तविक उन्नति का एक कदम है।

मेरे विधेयक में जो विचार हैं, वह अनिवार्यत: प्रजा समाजवादी दल की नीति नहीं। किन्तु मैं अस्थायी संसद और संविधान सभा में इस बात का समर्थक रहा हूं, और इसीलिये मैंने यह विधेयक रखा है। अत: मैं आशा करता हूं कि सभा एक मत से इसे स्वीकार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री खाडिलकर (खेड) : हमारे देश में बड़ी आयु के लोगों के लिये विशेष आदर का भाव दर्शाया जाता है। अत: इस बात का समर्थन नहीं किया जा सकता कि सभा का सदस्य एक निश्चित आयु के अन्तर्गत होना चाहिये। हम में से बहुत से लोग विधि बनाने के दृष्टिकोण से अनपढ़ होते हैं। अत: शिक्षा की अर्हता रखने का कोई विशेष अर्थ नहीं होता। हमारी माताओं को शिक्षा न होते हुए भी वे परिवारों के संचालन में बड़ी बुद्धिमता प्रदर्शित करती हैं। विधि क्या है? सामान्य ज्ञान का संहिता करण है, और सदस्यों को सभा के समक्ष लाई गई बातों की पर्याप्त समझ बूझ होती है। डा० ऐडेन्योर ८५ वर्ष के थे और चर्चिल ७५ वर्ष में रिटायर हुए, किन्तु उस के बाद उन्होंने बहुत उत्तम पुस्तक लिखी। इस सभा में डा० अणे ८५ वर्ष के हैं, परन्तु वह खूब सतर्क और जागरूक हैं। इसलिये जिस सदस्य ने भी इस पर विचार किया है, वह इस बात को कोई गम्भीरता नहीं देगा।

कई बार तुरन्त निर्णय की जरूरत होती है, अत: यौवन और आयु का समन्वय होने से राज्य का कार्य अच्छी तरह चलाया जा सकता है।

हमने आगामी योजना में शत प्रतिशत साक्षरता लाने की योजना बनाई है, परन्तु साक्षरता ही सब कुछ नहीं होती। और चीजें जरूरी होती हैं, समझ बूझ आदि। अत: ७५ की आयु सीमा रखने और शिक्षा की अर्हता का उपबन्ध करना बेकार है।

श्री वी० टी० कृष्णमाचारी का मस्तिष्क बड़ा तेज़ था और कई बड़े बड़े लोगों को शर्मा देते थे अपनी बुद्धि की तीव्रता के द्वारा। श्री सी० वी० रामस्वामी अय्यर भी ऐसे ही

[श्री खाडिलकर]

उदाहरण हैं। उन में समझने बूझने सोचने की बड़ी शक्ति थी और वे सब बातों के प्रभाव को खूब अच्छी तरह आंक सकते थे। अतः यह शर्त लगाने की कोई जरूरत नहीं है।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki): It is good that the bill of Shri Kamath is not the policy of P.S.P. with which any party is going to integrate.

The qualification of Literacy for various houses has been kept differently, a candidate must pass higher secondary education and should know English. But in India less than 2% people know English. As such this provision will go against the adult franchise and spirit of democracy. Till now people not knowing English were debarred from being Minister, but the bill seeks them to debar from membership of legislatures.

Law is related with common sense and every human being posseses common sense. But Mr. Kamath is going to differentiate between an English knowing man and another man. His argument that this condition will help in spread of literacy is not appealing.

Once there was a question that illiterate persons should not be given the right to vote. If this bill is complementary to that idea, it is dangerous, because 1% English knowing people will rule and the democracy will be crushed thereby.

Our history is an evidence of the fact that some illiterate persons have ruled the country very successfully and ably.

Age is no criteria of a man's activeness or lethargy. A man of 50 or 60 can prove to be more responsible than a youngman. I therefore appeal that these two canditions for condidature of legislatures are dangerous and Shri Kamath should withdraw his bill.

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (गया): शिक्षा की शर्त के बिना संसदीय प्रजातंत्र बेकार हो जायेगा। मैंने संविधान सभा में भी इस उपबंध का समर्थन किया था।

क्या संसद् सदस्य का काम मैजिस्ट्रेट से कम होता है, जो विधि का स्नातक होता है। अतः प्रतिरक्षा, व्यापार, विदेशी नीति जैसे मामलों का ज्ञान उसे होना चाहिये और वह स्नातक होना चाहिये। आज नौकरशाही का राज है। यदि प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण का लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त करना है, तो सदस्यों को शिक्षित होना चाहिये। तभी वे अपना कार्य अच्छी तरह निभा सकते हैं। और निर्वाचन तंत्र का काम भी सरल हो जायेगा। आज मतदाता के निर्णय में भ्रम डालने के लिए हर प्रकार के लोग खड़े हो जाते हैं। अतः संसद् सदस्यों के लिये उच्च शिक्षा की शर्त अवश्य लगाई जानी चाहिये।

Shri Bade (Khargone) : Shri Kamath has brought this bill in his individual capacity because he knows that public cannot appreciate it. I oppose it, because if higher secondary education is prescribed for legislators, Hindi knowing people will be debarred from being candidates. 80% people will not be eligible for being legislators.

Circumstances of our country are different from those in other countries. Our agriculturists possess practical wisdom and often brief advocates. When Congress presidentship can be occupied by a non-graduate, why should non-graduates be debarred from leading and guiding the country? This condition of literacy will debar our Harijan and Adivasi brothers from being legislators.

So far as the age limit is concerned, there should be some age group. In old age people are prone to many diseases, officers are retired at the age of 58 or 60. So I am not against the age limit of 75 proposed by Shri Kamath.

There are many persons more capable than Shri Kamath who would not be I.C.S. Should the Ministers be examined by U.P.S.C. ? When adult franchise is given to people,they should not be debarred by the qualification of education. In other countries percentage of literacy being high the condition could be levied. Why should the labourers or other prople not be allowed to become legislators, if they are not educated ? As such I shall oppose the condition of education.

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह व्यक्ति के समान न्याय और प्रशासन करने के समान अधिकार को भंग करता है। किसी भी आधुनिक युग के देश के संविधान में ऐसा उपबंध नहीं किया जा सकता।

साधारण ज्ञान और समझ बूझ साक्षरता के द्वारा नहीं आती। अपने अनुभव से मनुष्य बहुत सी बातें सीखता है। शिक्षित व्यक्ति दूसरों के अनुभव पर निर्भर करता है। परन्तु वह ठीक नहीं है। क्योंकि समय परिवर्तनशील है और पुराना ज्ञान भी बदलता रहता है। अतः समझ बूझ और अनुभव पर निर्भर रहना उचित है।

आधुनिक युग में आयु कोई बाधा नहीं। चर्चिल और ऐडेन्योर इसके उदाहरण हैं। अतः बड़ी आयु अक्षम नहीं बनाती। अतः श्री कामत को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिये। मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता। विधान मंडलों में बुद्धिमत्ता और समझ बूझ की जरूरत होती है। यह बात अशिक्षित लोगों में भी होती है। हमारे किसान तथाकथित शिक्षित लोगों से अधिक बुद्धिमान सिद्ध होते हैं। वे अनुभव से लाभ उठाते हैं। आजकल के बहुतेरे लोग शिक्षित मूर्ख होते हैं और उन में बुद्धिमत्ता तथा समझबूझ की कमी होती है। महाराजा रणजीत सिंह अशिक्षित होते हुए भी बड़ा योग्य शासक था। मुहम्मद साहब का उदाहरण है जिन्होंने मनुष्यों की विचारधारा को ही बदल डाला। अतः साक्षरता की शर्त लगाना उचित नहीं। पढ़े लिखे लोग जनता की भाषा में अपने विचार अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। श्री कामत की शर्त के अनुसार अनेक लोग इस सदस्यता से वंचित हो जायेंगे, जो प्रशासन को अच्छी तरह चला सकते हैं। यह शर्त लगाने से तो शिक्षित नवाबी का बोल बाला हो जायेगा। आज केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अपने आप को शिक्षित मानते हैं।

संविधान सब लोगों को समान अधिकार देता है और वे अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं। हमें जनता के अधिकार में अड़चन नहीं डालनी चाहिये। अतः जनता का अधिकार अक्षुण्ण रहने देना चाहिये। यदि हम हालात को सुधारना चाहते हैं तो हमें केवल साक्षरता को ही नहीं बल्कि उचित शिक्षा को बढ़ाना चाहिये ताकि लोगों की योग्यता और क्षमता बढ़े। मैं विरोध करता हूं।

श्री जसवन्त मेहता (भावनगर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। प्रजा समाजवादी दल की नीति यह है। श्री आचार्य विनोबा भावे ने ठीक कहा है कि निर्वाचन के पश्चात् दल गत

296(Ai)LSD—6·

[श्री जसवन्त मेहता]

सचेतक नहीं होना चाहिये। सत्तारूढ़ दल को इसे मानना चाहिये। सचेतक को हटा कर नवीन परम्परा स्थापित की जाये, तो बेहतर होगा।

संविधान बनाते समय डा० अम्बेडकर ने कहा था कि हमें करोड़ों लोगों को, जो अशिक्षित हैं, उनके सदस्य बनने के विशेषाधिकार से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं। २३ प्रतिशत शिक्षित लोग कैसे बहुसंख्या पर सत्ता रखने के अधिकारी हो सकते हैं? हमें शत प्रतिशत साक्षरता लाने में बहुत समय लगेगा और जनसंख्या की वृद्धि के साथ तो इस में और भी कठिनाई है। कम से कम दस वर्ष लग जायेंगे। और निरक्षरता भी बढ़ेगी। और २५ वर्षों में भी निरक्षरता दूर नहीं की जा सकती। अतः श्री कामत का विधेयक स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा (खम्मम) : जो लोग ७५ वर्ष की आयु से ऊपर हो जायेंगे, उनकी राय से लाभ न उठाना भी देश के लिए हानिकर ही होगा। हमारे सदन में डा० अणे जैसे व्यक्ति हैं जिनकी राय से हम लाभान्वित हो सकते हैं। किसी भी देश मे आयु सीमा की कोई रोक नहीं लगाई जाती। वृद्ध लोगों के अनुभव और बुद्धि का उपयोग किया जाता है। शिक्षा के बारे में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। केवल स्कूल छोड़ने के प्रमाण-पत्र को प्राप्त कर लेने से किसी की योग्यता नहीं बढ़ जाती। ऐसे बहुत लोग जिनके पास शिक्षा का कोई प्रमाण-पत्र नहीं था परन्तु उन्होंने प्रशासन के मामले में बहुत कमाल कर दिखाये। हमारे श्री कामराज नाडार ने अपने काम से सब को चकित कर दिया है। परन्तु वह किसी भी विश्वविद्यालय के मैट्रिक तथा स्नातक नहीं हैं। मुहम्मद साहिब भी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, परन्तु वह इस्लाम के प्रवर्त्तक बने। जोन आफ आर्क के बारे में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। कुछ वर्षों के बाद ऐसा समय स्वयं ही आ जायेगा कि कोई व्यक्ति जो कि अशिक्षित होगा वह किसी सदन में चुन कर जा ही नहीं सकेगा। मैं विधेयक का विरोध करती हूं।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : मैं श्री कामत के विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता। इससे बड़े गम्भीर परिणामों की सम्भावना हो सकती है। लोकतंत्र के अस्तित्व को इससे भारी खतरा हो सकता है। यद्यपि विधेयक की भावना अच्छी है परन्तु इससे लाभ की बजाये हानि होने की अधिक सम्भावना है। यदि एक बार इस वर्गीकरण को मान लिया गया तो उससे प्रजातंत्र को बहुत भारी खतरा हो जायेगा। चुन कर आ जाना ही एक सदस्य की योग्यता का द्योतक है। मैं इन शब्दों से इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री त्यागी (देहरादून) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। शिक्षा की योग्यता के बारे में मेरा निवेदन यह है कि मामला संविधान सभा में आया था। मैंने इसका विरोध किया था। यदि यह योग्यता अनिवार्य हो गयी तो हम तो अयोग्य हो जायेंगे क्योंकि हम सातवीं फेल हैं। इसी तरह बहुत से लोग हैं जिनकी औपचारिक अर्हताएं नहीं हैं, इस विधयक के फलस्वरूप अनर्ह होना पड़ेगा। जहां तक आयु का सम्बन्ध है मेरा कहना यह है कि हमें वृद्ध पुरुषों की राय से लाभ उठाना चाहिए। किस व्यक्ति को चुनना चाहिए, इस बात का निर्णय मतदाताओं को करना चाहिए।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मैं श्री कामत के विधेयक का समर्थन करता हूं। वह सदन के सदस्यों के लिए जो योग्यता चाहते हैं वह उचित ही है। मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक द्वारा

'बूढ़ा शासन शाही' की समस्या का सामना करने की चेष्टा की गयी है, क्योंकि वह बहुत अधिक बढ़ता ही चला जा रहा है। केवल इस बात से कि वृद्धजनों ने अपने कर्तव्यों को अच्छी प्रकार निभाया है, उन्हें यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि उन्हें निरन्तर चलने दिया जाय। और इस बात से इस विधेयक की आवश्यकता से भी इंकार नहीं किया जा सकता। इस तर्क में कोई सार नहीं कि शिक्षा सम्बन्धी योग्यता निर्धारित कर देने से लोकतन्त्र खतरे में पड़ जायेगा। मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : I do not support this bill. He wants that democracy should come to an end in this house, the backward classes may not be able to get any opportunity. Only 5 to 10 per cent people should get dominate Lok Sabha having their representation here. We have generally seen that with more laws, we are having more crimes. With more hospitals we are having now various types of diseases. With more controls, we are having more black marketing and profiteering. My submission is that the amendment of the Constitution as it is envisaged in the Bill would close the door of the legislature for all those who belong to the backward classes. Only those will get the opportunity to be elected who have higher secondary qualifications. The situation will be created that no representation of the backward people will be elected to the legislatures.

[**श्री खाडिलकर** पीठासीन हुए
SHRI KHADILKAR *in the Chair.*]

श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्): मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विधेयक को जिन धारणाओं पर आधारित किया गया है व काल्पनिक हैं। उनको तथ्यों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। मुख्यत: दो धारणायें हैं। प्रथम धारणा यह है कि केन्द्र तथा राज्यों के विधान मण्डलों में ७५ वर्ष से ऊपर के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है। लोक सभा में तो केवल एक ही ऐसे सदस्य हैं जोकि ७५ वर्ष से ऊपर हैं राज्य विधान मंडलों के आंकड़े इस बारे में उपलब्ध नहीं हैं। यह ठीक नहीं लगता कि वहां भी स्थिति लगभग ऐसी ही है। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि इंग्लैण्ड में १९१८-५१ की अवधि में 'हाउस आफ कामन्स' के ७.५ प्रतिशत सदस्य ६६ से ८० वर्ष की अवस्था के थे।

यह कहना भी निराधार ही लगता है कि देश में बुड्ढा शाही बढ़ रही है। इस तर्क में कोई तन्त नहीं है कि विधान मण्डलों में वृद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति से लोकतन्त्र को हानि होगी। इसका भी कोई प्रमाण नहीं है कि हमारे देश में बुड्ढा शासनशाही बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त यह बात भी सच नहीं है कि विधान मण्डलों के सदस्यों की बहुसंख्या की शिक्षा योग्यता स्तर की नहीं है। लोकसभा में केवल ०.३९ प्रतिशत सदस्य ऐसे हैं जो कि प्रारंभिक स्तर तक शिक्षित हैं। राज्य सभा में इस तरह के सदस्य ०.९ प्रतिशत हैं। अत: जो स्थिति है उससे यह सिद्ध नहीं होता है कि इस विधेयक के उपबन्ध उचित हैं।

लोगों में शिक्षा का काफी प्रचार हो जाने के कारण लोग अर्थात् मतदाता यह अपेक्षा करते हैं कि संसद् सदस्यों की शिक्षा योग्यतायें काफी ऊंचे स्तर की हों। इस सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि सरकार की प्रशासन और न्याय सम्बन्धी शाखाओं के सदस्यों को उच्च शिक्षा योग्यता होना आवश्यक है परन्तु संसद् तथा विधान मण्डलों के सदस्यों के लिए इन योग्यताओं का होना कोई आवश्यक नहीं है। यह तो ठीक ही है कि सरकार की कार्यपालिकाओं और न्यायपालिकों के सदस्यों को तो अपने सम्बद्ध क्षेत्र में प्रवीण होना ही होता है। परन्तु यह बात भी उपेक्षा योग्य नहीं कि संसद् सदस्यों तथा विधान

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्]

मण्डल के सदस्यों को जनसाधारण के प्रतिनिधि के रूप में मैदान में आना होता है। यदि विशेष रूप से किसी शिक्षा योग्यता के स्तर पर बल दिया जायेगा तो भारी संख्या में लोग इन विधान मण्डलों तथा संसद् के सदस्य होने से वंचित हो जायेंगे। मेरा निवेदन यह है कि केवल शिक्षा योग्यता निर्धारित कर देना ही काफी नहीं है। मेरा मत यह है कि इस विधेयक को पेश करने का जो उद्देश्य प्रस्तावक महोदय के दिमाग में है वह पूरा नहीं हो सकता। केवल इस दिशा में एक ही बात ठीक है मतदाताओं को स्वयं ही जागरूक होना होगा। और चुनाव में केवल उस उम्मीदवार को ही मत देना होगा जो कि योग्य हो। लोगों में अच्छे लोगों को चुनने की योग्यता आये इसके लिए सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार करना होगा। मेरी तो प्रस्तावक महोदय से प्रार्थना है कि उन्हें विधेयक वापिस ले लेना चाहिए।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना है जिन्होंने इस विधेयक में रुचि दिखाई और इसके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। इस सम्बन्ध में बहुत सी बातें सदन के समक्ष आ गयी हैं और बड़े महत्वपूर्ण मामले की ओर ध्यान आकृष्ट हुआ है। इस संदर्भ में, मैं डा० राजेन्द्र प्रसाद के संविधान सभा के अन्तिम भाषण का उल्लेख करना चाहता हूं। इस विधेयक द्वारा संविधान के जिन अनुच्छेदों का संशोधन करना अपेक्षित है उनके संविधान सभा के द्वारा पास किये जाने के बाद भी, डा० राजेन्द्र प्रसाद ने, सभा के अध्यक्ष के रूप में अपना प्रस्थान भाषण करते हुए कहा, "मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि विधायकों के लिए शिक्षा योग्यता की आवश्यकता की कमी रह गयी है।" यह बात उन्होंने २६ नवम्बर, १९४९ को कही थी। और बड़े ही दुख की बात है कि इस दिशा में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। उनके मत को स्वीकार नहीं किया गया। श्री त्यागी कहते हैं कि इस पर चर्चा हो चुकी है, इसे पुनः प्रस्तुत करने का क्या लाभ है। डा० राजेन्द्र प्रसाद ने यह भी कहा था कि वयस्क शिक्षा के प्रचार के बिना वयस्क मताधिकार कैसे चल सकता है।

संसद् सदस्यों के लिए शिक्षा योग्यता को अनिवार्य करना ठीक नहीं। मेरा निवेदन यह है कि संसार के अनेक देशों में विधेयकों के लिए शिक्षा योग्यता निर्धारित है। नये स्वतन्त्र होने वाले देशों में भी कई स्थानों पर ऐसी व्यवस्था की गयी है। विधेयक में ७५ वर्ष की और इससे अधिक आयु के लोगों को विधान मण्डलों से वंचित नहीं रखा गया है। वे लोग विधान परिषदों के सदस्य बन सकते हैं। संसार के अधिकतर देशों में प्राचीन या आदिम जातियों में बुड्ढा शासनशाही की प्रणाली थी। यही कारण है कि हमारे विकासोन्मुख लोकतन्त्र में इस प्रवृत्ति को रोकना पड़ा। जिस समय डा० राजेन्द्र प्रसाद ने इस सम्बन्ध में चर्चा की थी, १९४९ में उस समय तो आज के मुकाबले में लोग कम पढ़े लिखे थे। आज तो लोगों में शिक्षा अधिक है। इसलिए हमें उनकी इच्छानुसार संसद् और विधान मण्डलों के सदस्यों के लिए कुछ शिक्षा योग्यता अनिवार्य रूप से निर्धारित करनी चाहिए।

श्री त्यागी : अशिक्षित लोगों के प्रतिनिधि के रूप में मैं सदन से बाहर जाता हूं।

(इस समय श्री त्यागी सदन से बाहर चले गये)

श्री हरि विष्णु कामत : आयु सीमा भी मनमाने ढंग से निर्धारित है। २५ वर्ष रखी गयी है। पश्चिमी देशों में यह आयु सीमा २५ वर्ष है। २५ वर्ष निर्धारित करने के क्या आधार हैं, मैं कह नहीं सकता। कोई तर्क दिखाई नहीं देता। मैं चाहता हूं कि सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्य इस बात पर विचार करें कि आखिर हम लोकतन्त्र को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे विचार में इस विधेयक को स्वीकार कर लेने के राष्ट्रीय समृद्धि में वृद्धि ही होने की सम्भावना है। आशा है कि माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे।

सभापति महोदय : क्या आप विधेयक वापिस ले रहे हैं ?

श्री हरि विष्णु कामत : नहीं जी ।

सभापति महोदय : तो मुझे इसे मतदान के लिए प्रस्तुत करना होगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : इसके लिए गणपूर्ति का होना आवश्यक है । उसके बिना मतदान कैसे होगा ?

सभापति महोदय : इस समय गणपूर्ति नहीं है, अतः इसे अगली बार मतदान के लिए रखा जायेगा । और सभा सोमवार के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, ३० मार्च, १९६४/१० चैत्र, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the 30th March, 1964/10 Chaitra, 1886 (Saka).

GMGIPND—LSIII—296(Ai)LSD—22-6-64—600